अध्याय 3

भूजल विनियमन

3.1 परिचय

यद्यपि जल राज्य का विषय है, तथापि भूजल संग्रहण का नियमन केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर किया जाता है।

केंद्रीय स्तर पर, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत, जनवरी 1997 में केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) का गठन भूजल विकास और प्रबंधन का विनियमन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी के साथ निहित किया गया है। सी.जी.डब्ल्यू.ए. को पूरे देश में भूजल को विनियमित और नियंत्रित करने, प्रबंधन और विकसित करने एवं इस उद्देश्य हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों और विविध जलविद्युत क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता में भिन्नता को देखते हुए, मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामलों में भूजल स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भूजल निकासी के प्रस्तावों/अनुरोधों के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सी.जी.डब्ल्यू.ए. उद्योगों या अवसंरचना परियोजनाओं या खनन परियोजनाओं आदि के लिए भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करके भूजल विकास और प्रबंधन को नियंत्रित करता है। प्रस्तावक द्वारा कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शर्तें सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा जारी एन.ओ.सी. में निर्धारित की गई हैं।

दिशानिर्देशों के तहत (नवंबर 2015), सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने भूजल विकास के नियमन के उद्देश्य से 162 संकटपूर्ण/अति-दोहित क्षेत्रों को अधिसूचित किया। अधिसूचित क्षेत्रों में, पीने के पानी के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए, निकाले गए भूजल के लिए अनुमति (एन.ओ.सी.) नहीं दी गई थी। अधिसूचित क्षेत्रों में, प्रशासनिक ब्लॉक या तालुका के मामलों में जिला प्रशासनिक प्रमुख, या नगरपालिका के प्रमुख (नगरपालिका क्षेत्र के मामलों में) को भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी. जारी करने के लिए प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया था।

गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में, उद्योगों/अवसंरचना/खनन परियोजनाओं के लिए भी भूजल निष्कर्षण पर विचार किया जा सकता है।

सितंबर 2020 से, सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किए है, जिसमें सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा क्षेत्रों को अधिसूचित करने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। एन.ओ.सी. अब सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा निर्धारित इकाईयों अर्थात् सुरक्षित, अर्ध-संकटपूर्ण, संकटपूर्ण और अति-दोहन के आधार पर जारी किए जाने है।

राज्य स्तर पर, मार्च 2019 तक, 13[29] राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य भूमिगत जल प्राधिकरण (एस.जी.डब्ल्यू.ए.) का गठन किया या सरकारी आदेश जारी किए है। इन राज्यों में, संबंधित एस.जी.डब्ल्यू.ए. या नामित प्राधिकारी द्वारा भूजल निष्कर्षण के लिए एन.ओ.सी. प्रदान की जाती है। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विनियमन की व्यवस्था ***अनुलग्नक 3.1*** में उल्लिखित है।

इस अध्याय में भूजल उपयोग के विनियमन के संबंध में निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

3.2 सी.जी.डब्ल्यू.ए. और स्व-विनियमित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच दिशानिर्देशों में एकरूपता

माननीय एन.जी.टी. के निर्देशों (अगस्त 2018) में उल्लेख है कि सी.जी.डब्लयू.ए. के दिशानिर्देशों में अखिल भारतीय प्रयोज्यता को होना चाहिए। सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने लेखापरीक्षा को बताया (जून 2019) कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जहां राज्य सरकार के आदेशों के माध्यम से विनियमन किया जा रहा था, वहां कमोबेश सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, उपयुक्त कानून के तहत एस.जी.डब्ल्यू.ए. की स्थापना की गई है और भूजल निष्कर्षण हेतु एन.ओ.सी. के प्रस्तावों/अनुरोधों के मूल्यांकन हेतु उनका अपना तंत्र है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इनमें से सात राज्यों में, सी.जी.डब्ल्यू.ए. और राज्य स्तर के दिशा-निर्देशों के बीच भिन्नता थी। इनमें सी.जी.डब्ल्यू.ए. और एस.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के बीच अंतर, क्षेत्रों के वर्गीकरण में अंतर (जैसे सुरक्षित, संकटपूर्ण और अति-दोहन वाले) आदि शामिल थे। विभिन्नताओं को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध किया गया है।

[29] आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, एन.सी.टी. दिल्ली (सरकारी आदेशों के माध्यम से), तमिलनाडु (सरकारी आदेशों के माध्यम से), तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ (उपनियमों के माध्यम से), पुडुचेरी एवं लक्षद्वीप।

तालिका 3.1 राज्य और सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देशों में अंतर

क्रम.सं.	राज्य का नाम	अंतर
1.	चंडीगढ़	भूजल के निष्कर्षण के संबंध में एक (सी.जी.डब्ल्यू.ए. दिशानिर्देशों में) के बजाय तीन सरकारी एजेंसियां अनुमति पत्र/एन.ओ.सी. जारी करती हैं और इन एजेंसियों के अनुमति पत्रों में अलग-अलग शर्तें थी।
2.	दिल्ली	अधिसूचित क्षेत्रों में, पेयजल उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए भी एन.ओ.सी. जारी किए गए थे, जो सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देशों के विपरीत है।
		सलाहकार समिति/सक्षम प्राधिकरण ने सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों को एन.ओ.सी./उनके द्वारा जारी अनुमति पत्र के नियमों और शर्तों में शामिल नहीं किया था।
3.	गोवा	एन.ओ.सी. जारी करने से पहले, एक्वीफरों में भूजल की स्थिति, पानी के पुनरावर्तन आदि की विस्तृत रिपोर्ट परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त नहीं की गई थी, जैसा कि सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है।
4.	हिमाचल प्रदेश	परिसर में वर्षा जल संचयन संरचना के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण का प्रावधान शामिल नही किया गया था, जैसा कि सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देशों में दिया गया था।
5.	कर्नाटक	परमिट/एन.ओ.सी. केवल अधिसूचित क्षेत्रों में जारी किए जाते हैं और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों के लिए नहीं। इस तरह, कर्नाटक भूमिगत जल प्राधिकरण (के.जी.डब्ल्यू.ए.) गैर-अधिसूचित क्षेत्र में एन.ओ.सी. जारी नहीं कर रहा है।
6.	तमिलनाडु	व्यक्तिगत परिवारों को एन.ओ.सी. प्राप्त करने से छूट दी गई है, जबकि सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देशों में ऐसा नहीं है।
		सभी एन.ओ.सी. के लिए अनिवार्य पुर्नचक्रण/पुनः उपयोग (भूजल के पुनर्भरण को छोड़कर विभिन्न प्रयोजनों के लिए) और फर्मों द्वारा स्थापित किए जाने वाले भूजल पुनर्भरण की मात्रा का कोई विशेष उल्लेख दिशानिर्देशों में नहीं किया गया है, जोकि सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देशों में शामिल है।
7	पश्चिम बंगाल	अधिसूचित और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है जबकि सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देशों में यह अंतर किया गया है।
		भूजल पुनर्भरण हेतु कृत्रिम पुनर्भरण संरचना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जैसा कि सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देशों में अपेक्षित है।
		परमिटों के नवीनीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जोकि सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देशों में शामिल है

राज्यों के अलग-अलग दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप राज्यों में भूजल के विनियमन में कुछ विशिष्ट मुद्दें सामने आएं, जिनका इस अध्याय में बाद में उल्लेख किया गया है और विशेष रूप से पैरा 3.8 में चर्चा की गई।

माननीय एन.जी.टी. के निर्देशों के आधार पर, सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने दिशानिर्देशों को संशोधित (सितंबर 2020) किया, जिसके अनुसार अखिल भारतीय प्रयोज्यता और अनिवार्य है कि जहां कहीं भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपने स्वयं के भूजल निष्कर्षण के दिशानिर्देश हैं जो सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देशों के साथ असंगत हैं, वहां सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशा-निर्देश प्रभावी होगें। यदि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुसरण किए गए दिशा-निर्देशों में सी.जी.डब्ल्यू.ए. दिशानिर्देशों की तुलना में अधिक कड़े प्रावधान है, तो ऐसे प्रावधानों को भी प्रभावी किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इनमें से कुछ राज्यों में कुछ अच्छी प्रथाओं का पालन किया जा रहा है, यद्यपि ये सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देशों में शामिल नहीं है, जैसा बॉक्स 3.1 में दिया गया है।

बॉक्स 3.1: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अपने स्वंय के विनियमन वाले दिशानिर्देशों में शामिल अच्छी प्रथाएं,

हिमाचल प्रदेशः जारी किए गए एन.ओ.सी. में सक्रिय माध्यमों से भूजल निष्कर्षण पर रायल्टी भुगतान की शर्त को शामिल किया गया है। इसके अलावा, नलकूप/बोर की ड्रिलिंग एस.जी.डब्ल्यू.ए. में पंजीकृत फर्म से कराई जानी थी।

कर्नाटकः दिशानिर्देशों में बताया गया कि कर्नाटक भूजल अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अनुसार पेयजल के मौजूदा सार्वजनिक स्रोत से 500 मीटर की दूरी बनाए रखी जानी चाहिए।

तमिलनाडूः राष्ट्र और राज्य की जल नीतियां छोटी जल विज्ञान इकाईयों में पानी के निर्धारण की परिकल्पना करती हैं। प्रभावी विनियमन और निर्धारण के कार्यान्वयन के उद्देश्य हेतु, राज्य भूजल और सतही जल संसाधन डाटा केंद्र (एस.जी. एंव एस.डब्ल्यू.आर.डी.सी.) ने फिरका को निर्धारण इकाई के रूप में लेने का निर्णय (2011 से) लिया है, चूंकि एक फिरका एक सीमा तक एक ब्लॉक से छोटा होता हैं। इससे अपेक्षा की गई थी कि इससे अति-दोहन वाले और संकटपूर्ण ब्लॉकों के भीतर भूजल संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार अति-दोहन वाले ब्लॉक के एक हिस्से को आगे भूजल निष्कर्षण से रोक दिया जाएगा, जबकि ब्लॉक के अन्य हिस्सों को भूजल निष्कर्षण के लिए अनुमति दी जाएगी।

3.3 अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना भूजल निष्कर्षण करने वाले प्रस्तावक

वर्ष 2012 के सी.जी.डब्ल्यू.ए. दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल नई इकाईयां और उद्योग (उद्योग, अवसंरचना और खनन परियोजनाएं) जो विस्तार की मांग कर रहे हैं, वे

दिशानिर्देशों के दायरे में आते हैं। नवंबर 2015 के संशोधित दिशानिर्देशों में, सभी मौजूदा उद्योगों/परियोजनाएं जो भूजल निष्कर्षण कर रहे थे और सी.जी.डब्ल्यू.ए. से या तो सी.जी.डब्ल्यू.ए. के गठन से पहले अस्तित्व में आने के कारण या पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार एन.ओ.सी. प्राप्त करने से छूट के कारण एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं की थी, को भी भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी. के लिए तत्काल प्रभाव से सी.जी.डब्ल्यू.ए. को आवेदन करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.जी.डब्ल्यू.ए. के पास बिना उचित एन.ओ.सी. के भूजल निष्कर्षण करने वाले उद्योगों/अवसंरचना/खनन परियोजनाओं की संख्या का कोई अनुमान नहीं था। सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने मौजूदा उद्योगों के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा को पांच बार[30] (नवीनतम 30 सितंबर 2019 तक) बढ़ाया था। संशोधित दिशानिर्देश (नवंबर 2015) में यह भी निर्धारित किया गया था कि सांविधिक प्राधिकरण (केंद्र और राज्य सरकार विभागों और एजेंसियों[31]) के अभिनिर्देश पत्रों के बिना एन.ओ.सी. के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। सी.जी.डब्ल्यू.ए. को एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. और राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों से पर्यावरण मंजूरी/संदर्भ की शर्तों की प्रतियां प्राप्त हुई, जहां परियोजना में भूजल निष्कर्षण की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, सी.जी.डब्ल्यू.ए. के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि इस प्रकार के परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपना संचालन शुरू करने से पहले एन.ओ.सी. हेतु सी.जी.डब्ल्यू.ए. को आवेदन दिया गया था।

एन.ओ.सी. के बिना भूजल निष्कर्षण करने वाले मौजूदा परियोजना प्रस्तावकों की संख्या के विषय में जानकारी के बिना; और यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र के नहीं होने के कारण एन.ओ.सी. के लिए आवेदन करने वाले अन्य सांवधिक प्राधिकरणों से सशर्त मंजूरी प्राप्त करने वाले नए परियोजना प्रस्तावक, सी.जी.डब्ल्यू.ए. भूजल के अनधिकृत निष्कर्षण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में असमर्थ थे। लेखापरीक्षा के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पी.सी.सी.), भारतीय

---

[30] सार्वजनिक सूचना दिनांक 04.10.2017 द्वारा 31.12.2017 तक, सार्वजनिक सूचना दिनांक 01.01.2018 द्वारा 30.06.2018 तक, सार्वजनिक सूचना दिनांक 29.06.2018 द्वारा 30.09.2018 तक, सार्वजनिक सूचना दिनाकं 14.11.2018 द्वारा 31.03.2019 तक, सार्वजनिक सूचना दिनांक 09.04.2019 द्वारा 30.09.2019 तक

[31] एम.ओ.ई.एफ. एवं सी.सी. या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.) या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति (एस.ई.ए.सी.) या राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.एल.ई.आई.ए.ए.) या भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) या विभाग उद्योग या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य कोई अन्य प्राधिकरण।

मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.), आदि के अभिलेखों की जांच की गई और यह देखा गया कि अधिकांश परियोजनाओं के परिचालन की सहमति, लाइसेंस, सी.जी.डब्ल्यू.ए./ एस.जी.डब्ल्यू.ए. से बिना किसी एन.ओ.सी. के भूजल का निष्कर्षण कर रही थी। इस संबंध में निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2019) कि देश में ऐसी इकाईयों को देखते हुए मौजूदा उद्योगों को एन.ओ.सी. के नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ाई गई थी, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और सी.जी.डब्ल्यू.ए. के पास उपलब्ध सीमित मानव संसाधन प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हैं।

विभाग ने आगे कहा (अक्टूबर 2019) कि माननीय एन.जी.टी. के निर्देशों के बाद एन.ओ.सी. के लिए आवेदन करते समय अभिनिर्देश पत्र की अनिवार्य आवश्यकता निरर्थक हो गई है, जिसमें भूजल के सभी उपयोगकर्ता को सी.जी.डब्ल्यू.ए. से एन.ओ.सी. पाप्त करने की आवश्यकता है।

देश में भूजल के उपयोग को विनियमित करने के अपने अधिदेश को देखते हुए, सी.जी.डब्ल्यू.ए. को यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि सभी परियोजना प्रस्तावक मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार भूजल निकासी से पूर्व एन.ओ.सी. प्राप्त कर लें।

3.3.1 एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. द्वारा परियोजनाओं को परिचालित करने की सहमति दी गई

जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित राज्य बोर्ड से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना कोई भी उद्योग, परिचालन या प्रक्रिया स्थापित नहीं की जा सकती है। एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. सहमति आवेदन पत्र और सहमति शुल्क निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार हैं। अधिकांश एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. स्थापना हेतु सहमति (सी.टी.ई.) जारी करते है और उसके बाद परिचालन के लिए सहमति (सी.टी.ओ.) जारी करते है।

लेखापरीक्षा में 18 राज्यों में 328 मामलों[32] के नमूनों की जांच की जहां परियोजना प्रस्तावक को दिए गए सी.टी.ओ. में एक शर्त शामिल थी जिसमें भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी, और पाया गया कि 13 राज्यों/केंद्र

[32] सी.टी.ओ. की सूची एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. से प्राप्त की गई थी और सूची को सी.जी.डब्ल्यू.ए./राज्य भूजल प्राधिकरणों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रति जांच किया गया था।

शासित प्रदेशों में केवल 75 परियोजनाओं ने अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त की थी। इस प्रकार, 253 परियोजनाएं (77 प्रतिशत) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना परिचालित थी (चार्ट 3.1 में राज्यवार स्थिति)।

चार्ट 3.1: अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना परियोजनाओं का परिचालन

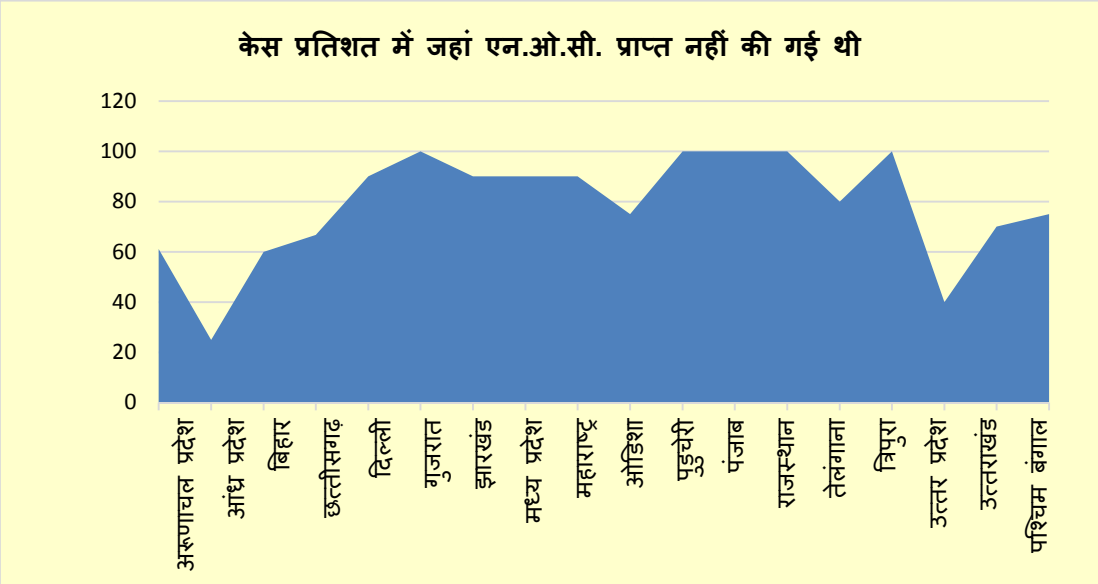

नौ[33] राज्यों (ऊपर उल्लिखित 18 राज्यों के अलावा) द्वारा प्रदान किए गए सी.टी.ओ. में भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की शर्त शामिल नहीं थी, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश (लक्षद्वीप) में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई सी.टी.ओ. प्रदान नहीं किया गया था। दो राज्यों (असम और नागालैंड) के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। एक राज्य (तमिलनाडु) में, सी.टी.ओ. को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही प्रदान किया जाता है, जिसे बॉक्स 3.3 में एक उपयुक्त कार्य के रूप में दर्शाया गया है।

चूककर्ताओं की बड़ी संख्या इंगित करती है कि एस.पी.सी.बी./पी.सी.सी. और सी.जी.डब्ल्यू.ए. के बीच अनिवार्य संयोजन की कमी के कारण भूजल की जांच किए बिना निकासी हुई है।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2019) कि एस.पी.सी.बी. द्वारा सतही जल और भूजल दोनों का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए सी.टी.ओ. प्रदान किए जाते है और केवल भूजल निष्कर्षण वाले प्रस्तावक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सी.जी.डब्ल्यू.ए./एस.जी.डब्ल्यू.ए. से संपर्क करेंगें। इसके अलावा, संबंधित डी.एम./डी.सी.

[33] चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय और केरल

को सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा अवैध बोरिंग के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया है। डी.ओ.डब्ल्यू.आर.,आर.डी. एवं जी.आर. ने आगे बताया (जनवरी 2020) कि एस.पी.सी.बी. द्वारा प्रदान किए गए सी.टी.ओ. के संबंध में, यह पता चला था कि एस.पी.सी.बी. उन परियोजना प्रस्तावकों के सी.टी.ओ. का नवीनीकरण नहीं कर रहे थे जो भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में विफल रहे थे।

यह विचार करने योग्य है कि लेखापरीक्षा द्वारा सामने लाए गए मामले वे थे जिनमें सी.टी.ओ. ने सी.जी.डब्ल्यू.ए./एस.जी.डब्ल्यू.ए. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की शर्त शामिल की थी, क्योंकि परियोजना में भूजल निष्कर्षण शामिल था। आगे, चूककर्ता परियोजना प्रस्तावकों के विरूद्ध सी.जी.डब्ल्यू.ए./डी.एम./डी.सी. द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में उत्तर में कुछ नहीं बताया गया था।

भूजल के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना सुविधाओं के परिचालन पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष

अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना सुविधाओं के परिचालन के कुछ विशिष्ट उदाहरण तालिका 3.2 में उल्लिखित है।

तालिका 3.2: भूजल के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना सुविधाओं का परिचालन

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	**गुजरात**	गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जी.पी.सी.बी.) ने 3,589[34] विभिन्न जल गहन इकाईयों के विवरण उपलब्ध कराएं थे। इनमें से केवल आठ इकाईयों को क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए थे और अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए सी.जी.डब्ल्यू.ए., अहमदाबाद के पास 613 आवेदन लंबित थे। यह देखा गया कि 2,968 इकाईयों ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन नहीं किया था। अतः 3,581 इकाईयां बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के भूजल निष्कर्षण कर रही थी और कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहीं थी।
2.	**हरियाणा**	हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.एस.पी.सी.बी.) ने अप्रैल 2013 और दिसंबर 2018 के बीच चार क्षेत्रों (फरीदाबाद, सोनीपत, धारूहेड़ा और पंचकूला) में 5,069 औद्योगिक परियोजनाओं को सी.टी.ओ./सी.टी.ई. जारी किया था, जिनमें से 3,643 इकाईयां अपनी गतिविधियों के लिए भूजल का उपयोग कर रही थी। यह देखा गया कि केवल 840 इकाईयों ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 48 अनापत्ति प्रमाण-पत्र 2013-

[34] खनिजयुक्त जल-71, डेयरी-102, उर्वरक-64, लुगदी एवं कागज-125, चीनी-23, चर्मशोधन-3 और कपड़ा-3,201

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		18 की अवधि के दौरान प्रदान किए गए थे। इस प्रकार, राज्य में 3,595 इकाईयां बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के भूजल निष्कर्षण कर रही थी।
3.	**जम्मू एवं कश्मीर**	2013-18 के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जे.के.एस.पी.सी.बी.) के साथ पंजीकृत 22,474 औद्योगिक इकाईयों में से 75 इकाईयां जल गहन थी। हालांकि, इन 75 इकाईयों को सी.टी.ओ. प्रदान करते समय, जे.के.एस.पी.सी.बी. ने भूजल निष्कर्षण के लिए एन.ओ.सी. प्राप्त करने के लिए कोई शर्त नहीं लगाई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 75 में से 73 ने सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया था और बिना किसी प्राधिकार के भूजल निष्कर्षण कर रहे थे। जे.के.एस.पी.सी.बी. ने बताया (जुलाई 2018) कि वह संबंधित प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र करने के लिए सी.टी.ओ. में एक शर्त शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में, एक परियोजना स्थल के दौरे के दौरान, लेखापरीक्षा में एक आर.बी.आई. बैंक नोट उत्पादन कंपनी द्वारा भूजल का दोहन पाया गया, जिसकी चर्चा बॉक्स 3.2 में की गई है।

बॉक्स 3.2 पश्चिम बंगाल में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूजल का दोहन।

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड, सालबोनी, पश्चिम बंगालः

प्रस्तावक ने घरेलू, औद्योगिक और बागवानी उपयोग हेतु 1993 और 2018 के बीच नौ नलकूपों का निर्माण किया। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यू.बी.पी.सी.बी.) के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा संयुक्त कार्य-स्थल दौरे (सितंबर 2018) के दौरान यह देखा गया कि फर्म सात नलकूपों के माध्यम से भूजल का दोहन कर रही थी जिसके लिए उन्होंने राज्य भूजल प्राधिकरण, राज्य जल जांच निदेशालय (एस.डब्ल्यू.आई.डी.) से कोई परमिट नहीं लिया था, जो डब्ल्यू.बी.पी.सी.बी. से प्राप्त सी.टी.ओ. के नियमों और शर्तों के अनुसार आवश्यक था।

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि., सालबोनी में ट्यूबवेल

लेखापरीक्षा ने दो राज्यों में उचित कार्य-प्रणाली भी देखी, जिन्हे बॉक्स 3.3 में विशिष्ट रूप से दर्शाया गया है।

बॉक्स 3.3: परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने में उचित कार्य-प्रणाली

दो राज्यों में यह देखा गया कि एक प्रणाली स्थापित की गई थी जिसके तहत परिचालन के लिए सहमति केवल भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही दी जा सकती थी।

1. **तमिलनाडुः** भूजल के प्रबंधन के लिए विनियमन और भूजल की निकासी के लिए जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार, तमिलनाडू प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बी.आई.एस. को राज्य से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद अनुमति जारी करनी चाहिए। इसके अलावा, अति-दोहन की गई और महत्वपूर्ण फिरकाओं में कोई योजना तैयार नहीं की जा सकती है और सभी योजनाओं को राज्य भूजल और सतही जल संसाधन डेटा केंद्र, चैन्नई के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए।

2. **महाराष्ट्रः** 2012 के बाद से, प्रस्तावक को सी.जी.डब्ल्यू.ए. से एन.ओ.सी. प्राप्त करने के बाद ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एम.पी.सी.बी.) द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सी.टी.ओ. प्रदान किया जाता है। सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशा-निर्देशों के अनुसार नवंबर 2015 से, भूजल का उपयोग करने वाले राज्य के सभी उद्योगों/परियोजनाओं के लिए भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया गया था, इस बात पर विचार किए बिना कि इनके अस्तित्व में आने की तारीख कुछ भी हो तद्नुसार एम.पी.सी.बी. ने उद्योग/परियोजनाओं को नोटिस जारी कर उन्हे भूजल उपयोग के लिए सी.जी.डब्ल्यू.ए. से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करने का निर्देश दिया है। सी.टी.ओ. तभी जारी किया जाता है जब उद्योग/परियोजनाएं भूजल का उपयोग करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सी.जी.डब्ल्यू.ए. को प्रस्तुत आवेदन की प्रति प्रस्तुत करती हैं।

3.3.2 भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा परियोजनाओं को प्रदान किए गए लाइसेंस

भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा किसी उत्पाद पर मानक चिन्ह का उपयोग करने के लिए लाइसेंस तभी प्रदान किया जाता है जब बी.आई.एस. द्वारा प्रासंगिक भारतीय मानक के अनुसार उत्पाद के निरंतर निर्माण के लिए निर्माता की क्षमता सुनिश्चित की गई हो। पैक किए हुए पेयजल इकाईयों को लाइसेंस देने से पहले सी.जी.डब्ल्यू.ए. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की शर्त अधिरोपित करने के लिए बी.आई.एस. के नियमों और विनियमों में कोई प्रावधान नही है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 15 राज्यों में, जिसके लिए लेखापरीक्षा को डेटा उपलब्ध कराया गया था, 2013 से 3,189 पैक किए हुए पेयजल इकाईयों को बी.आई.एस. लाइसेंस जारी किए गए थे। इनमें से, केवल 642 प्रस्तावकों ने भूजल निकासी के लिए सी.जी.डब्ल्यू.ए./राज्य प्राधिकरणों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए थे। इस प्रकार,

3,189 मामलों में से 2,475 में अर्थात् बी.आई.एस. द्वारा दिए गए 78 प्रतिशत लाइसेंसों में परियोजना प्रस्तावक सी.जी.डब्ल्यू.ए. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना काम कर रहे थे (चार्ट 3.2)।

चार्ट 3.2: ऐसे मामले जिसमें पैक किए हुए पेयजल इकाईयों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया था

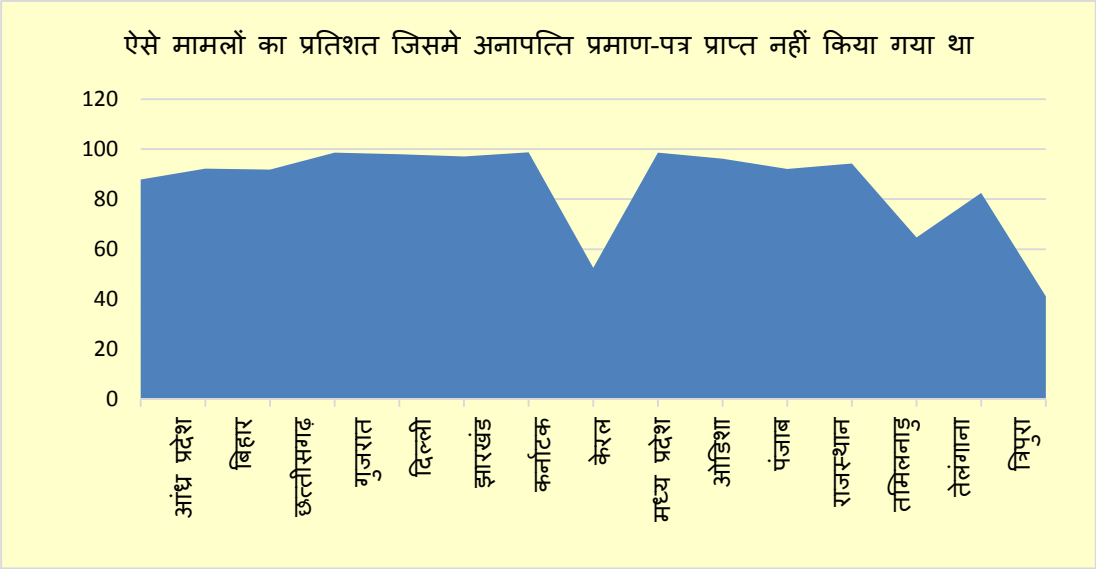

बी.आई.एस द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस और सी.जी.डब्ल्यू.ए. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बीच अनिवार्य संयोजन के अभाव में, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं करने वाले परियोजना प्रस्तावकों के उदाहरण बने रह सकते है।

विभाग ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) कि पैक किए हुए पेयजल इकाईयों द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की संख्या और बी.आई.एस. द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंसों की संख्या में अन्तराल था। डी.ओ.डब्ल्यू.आर.,आर.डी. एवं जी.आर. ने आगे बताया (सितंबर 2020) कि सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने एफ.एस.एस.ए.आई. के साथ बैठकें की थी, जिसमें यह सहमति हुई कि जिसके पास भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है एफ.एस.एस.ए.आई. उन उद्योगों को लाइसेंस जारी नहीं करेगा।

3.3.3 परियोजनाओं को अन्य एजेंसियों द्वारा लाइसेंस दिया गया

लेखापरीक्षा ने 13 राज्यों में अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा जारी लाइसेंसों के मामलें देखे, जिनमें भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। 12 राज्यों के संबंध में निष्कर्षों का उल्लेख तालिका 3.3 में किया गया है। जम्मू और कश्मीर के संबंध में निष्कर्षों पर अगले पैराग्राफ में पृथक रूप से चर्चा की गई है।

तालिका 3.3 अन्य केंद्रीय/राज्य एजेंसियों द्वारा दिए गए लाइसेंस में भूजल के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया है

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	**आंध्र प्रदेश**	लेखापरीक्षा ने 2013-19 के जल गहन इकाईयों से संबंधित आंध्र प्रदेश राज्य कर (जी.एस.टी.) विभाग के आंकड़ों से देखा कि 351 इकाईयों में से केवल 55 इकाईयों ने भूजल ओर जल लेखापरीक्षा विभागों (जी.डब्ल्यू. एवं डब्ल्यू.ए.डी.) से अनुमति प्राप्त थी। इस प्रकार, 296 जल गहन इकाईयों बिना किसी प्राधिकरण के भूजल खींच रही थी। ए.पी.डब्ल्यू.ए.एल.टी.ए. प्रशासक ने पुष्टि की (जुलाई 2019) कि केवल तीन इकाईयों ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए संपर्क किया था, जिनमें से एक मामला प्रक्रियाधीन था और दो को अनुमति नहीं दी गई थी।
2.	**बिहार**	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने राज्य में 57 जल गहन उद्योगों को लाइसेंस जारी किए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन उद्योगों में से केवल चार उद्योगों ने सी.जी.डब्ल्यू.ए. से भूजल के दोहन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया था। शेष 53 इकाईयां बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र के चल रही थी।
3.	**गोवा**	खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लाइसेंस प्रदान किए गए 86 जल गहन उद्योगों में से, हमने 45 अभिलेखों की जांच की और पाया कि 18 मामलों में भूजल निष्कर्षण संरचनाएं (कुएं/बोर-वेल) निर्माताओं के परिसर में उपलब्ध थीं लेकिन भूजल प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं थी। विभाग ने बताया (अप्रैल 2019) कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के लिए भूजल अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।
4.	**कर्नाटक**	(i) एफ.एस.एस.ए.आई. ने 2013-18 की अवधि के दौरान पानी के गहन उद्योगों जैसे पैक किए हुए पेयजल, पेय पदार्थ आदि के लिए 409 लाइसेंस जारी किए थे और जल का स्रोत बोरवेल/भूजल बताया गया था। एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा जारी किए गए 409 लाइसेंसों में से 72 उद्योग अधि-सूचित क्षेत्रों में और 337 उद्योग गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित थे। अधिसूचित क्षेत्रों[35] में प्रदान किए गए 72 लाइसेंसों के परियोजना प्रस्तावकों ने के.जी.डब्ल्यू.ए. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नही किया था ओर अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना काम कर रहे थे। यह अनियमित था, क्योंकि के.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देश इस प्रकार के उद्योगों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमति नहीं देते हैं। (ii) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आर.टी.ओ.) जो लॉरियों/टैंकरो के पंजीकरण के लिए प्राधिकरण है, ने 2014-19 की अवधि के दौरान 1,106 टैंकरों (पानी के टैंकरों सहित) को पंजीकृत/लाइसेंस जारी किया था। ब्रुहत बैंगलुरू

[35] कर्नाटक में (स्व-विनियमित राज्य), अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल अधिसूचित क्षेत्रों को जारी किए जाते हैं।

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		महानगर पालिका (बी.बी.एम.पी.) जो टैंकरो को व्यापार लाइसेंस जारी करने का प्राधिकरण है, ने 2014-18 के दौरान जलापूर्ति के लिए 758 व्यापार लाइसेंस जारी/नवीनीकृत किए थे। ये लाइसेंस पानी के स्रोत को सुनिश्चित किए बिना और के.जी.डब्ल्यू.ए. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना जारी किए गए थे। इस प्रकार, भूजल का विनियमन, निकासी किए गए जल के स्रोत की पहचान, यदि भूजल निकाला जाना है, तो भूजल की मात्रा, वास्तविक मात्रा में निकाला गया, भूजल की गुणवत्ता जो आपूर्ति की जा रही है, आदि की मात्रा को लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व सुनिश्चित नहीं किया गया।
5.	**ओडिशा**	मुख्य अभियंता, जल सेवा, उड़ीसा सरकार के अभिलेखों के अनुसार, राज्य में 452 फर्मों/परियोजनाओं में से भूजल निकालने वाली 268 फर्मे/परियोजनाएं सी.जी.डब्ल्यू.ए. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना भूजल निष्कर्षण कर रही थी।
6.	**पंजाब**	एफ.एस.एस.ए.आई. ने पंजाब में जल गहन खाद्य व्यापार परिचालकों को 75 लाइसेंस जारी किए थे। हमने पाया कि सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा केवल तीन इकाईयों को भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे।
7.	**राजस्थान**	उत्पाद-शुल्क आयुक्त, उदयपुर के कार्यालय से मधशालाओं और मधनिर्माशालाओं के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवश्यक है। यह देखा गया है कि 10 मधशालाओं और नौ मधनिर्माणशालाओं पंजीकृत थी जिनमें से चार मधशालाओं और सात मधनिर्माणशालाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। शेष छः मधशालाओं में से पांच के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रक्रियाधीन थे और एक इकाई ने आवेदन नहीं किया था। इसी प्रकार, शेष दो मधनिर्माणशालाओं में से एक के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रक्रियाधीन थी और एक इकाई ने आवेदन नहीं किया था।
8.	**तमिलनाडु**	अप्रैल 2018 तक एफ.एस.एस.ए.आई. (केंद्र और राज्य) द्वारा जारी किए गए कुल 1,259 लाइसेंसों में से, केवल 414 ने एस.जी. एवं एस.डब्ल्यू.आर.डी.सी. से भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया।
9.	**तेलंगाना**	(i) वाल्टा अधिनियम 2002 के तहत, सभी बोरवेलों को संबंधित प्राधिकारी के पास पंजीकृत किया जाना था और किसी भी अनधिकृत बोरवेल को जब्त/बंद किया जाना था। निजामाबाद जिले में 12 उद्योगों के आवेदन 2016-18 की अवधि के दौरान एस.जी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए थे। यह देखा गया कि तीन फर्मों (12 अस्वीकृत मामलों में से) के परिसर में पहले से ही बोरवेल मौजूद थे। एस.जी.डब्ल्यू.डी. ने बताया कि संबंधित प्राधिकरण को अनधिकृत बोरवेल के बारे में सूचित किया

क्रं.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		गया था। तथापि, इन बोरवेलों को जब्त/बंद करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेखापरीक्षा दल ने अक्टूबर 2018 में तीन उद्योगों का दौरा किया ओर पाया कि ये अभी भी अनधिकृत बोरवेल से भूजल निष्कर्षण कर रहे थे। (ii) एस.जी.डब्ल्यू.डी., निजामाबाद ने 46 पैक किए हुए पेयजल संयंत्रो की पहचान की (मार्च 2017) जो अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना भूजल निष्कर्षण कर रहे थे। अक्टूबर 2018 के दौरान जी.डब्ल्यू.डी. निजामाबाद के कर्मचारियों के साथ लेखापरीक्षा दल ने इनमें से तीन संयंत्रों का दौरा किया और पाया कि इन संयंत्रों ने अनधिकृत बोरवेल से भूजल का आहरण जारी रखा। इसी प्रकार, हैदराबाद जिले में भी ऐसे 283 जल संयंत्रों की पहचान की गई। यद्यपि वाल्टा अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधान[36] निर्धारित है, उपरोक्त दोनो मामलो में इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
10.	**त्रिपुरा**	संवीक्षा से पता चला कि 17 कार्यरत पैक किए हुए पेयजल उद्योगों में से, 14 ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया था। इनमें से, 12 उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा जारी किए गए थे, हालांकि सभी 17 उद्योगों को बी.आई.एस. और एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा लाइसेंस प्रदान किए गए थे। एक उद्योग का आवेदन प्रक्रियाधीन था तथा एक आवेदन दस्तावेजों के अभाव में वापस कर दिया गया था।
11.	**उत्तर प्रदेश**	सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देश (नवंबर 2015) निर्धारित करते हैं कि भूजल निष्कर्षण के लिए मेट्रो/रेलवे स्टेशन सहित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तर मध्य रेलवे (एन.सी.आर.) धुलाई, सफाई आदि के लिए 8,096.922[37] क्यूबिक मीटर प्रति दिन की दर से और पीने के पानी के प्रयोजनों के लिए 38,702.99[38] क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की दर से उपरोक्त व्यक्त दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विपरीत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना भूजल का निष्कर्षण कर रहा था। रेलवे प्राधिकारियों को सी.जी.डब्ल्यू.ए. दिशानिर्देशों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रावधान का ज्ञान नहीं था। एन.सी.आर. ने बताया (अक्टूबर 2018) कि जल आपूर्ति व्यवस्था पुरानी थी और सी.जी.डब्ल्यू.ए. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कोई

[36] वाल्टा अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, जो कोई भी अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है या अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उसे कम से कम ₹ 1,000 से लेकर ₹ 5,000 तक के जुर्माने से दंडित किया जाना चाहिए।

[37] केवल आगरा और झाँसी प्रभाग हेतु।

[38] केवल इलाहाबाद, आगरा और झाँसी प्रभाग हेतु।

क्रं.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		दिशानिर्देश नही थे। हालांकि, उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि नवंबर 2015 के संशोधित दिशानिर्देशों में, सभी मौजूदा उद्योग/परियोजनाएं जो भूजल निष्कर्षण कर रही थी और जिनके द्वारा सी.जी.डब्ल्यू.ए. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया था, या तो सी.जी.डब्ल्यू.ए. के गठन से पहले अस्तित्व में आने के कारण या पूर्व के दिशानिर्देशों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से छूट के कारण, भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए तत्काल प्रभाव से सी.जी.डब्ल्यू.ए. को आवेदन करना भी आवश्यक था।
12.	**पश्चिम बंगाल**	2013-18 के दौरान, महाप्रबंधक, जिला औद्योगिक केंद्र एवं पदेन पर्यावरण अधिकारी (हुगली जिला) ने 31 पैक किए हुए पेयजल परियोजनाओं हेतु सी.टी.ई. जारी किया। इन 31 परियोजनाओं में से, केवल 16 परियोजनाओं ने भूजल के निष्कर्षण के लिए आवश्यक अनुमति हेतु एस.डब्ल्यू.डी. को आवेदन किया। इन 16 में से, केवल सात परियोजनाओं के द्वारा जुलाई 2018 तक भूजल निष्कर्षण के लिए आवश्यक परमिट लिया था। सात परियोजनाओं के आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए थे और दो आवेदन प्रक्रियाधीन थे।

3.3.3.1 जम्मू और कश्मीर

(i) औद्योगिक इकाईयों द्वारा भूजल का अवैध निष्कर्षण/दोहन

जम्मू और कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम (जे.के.डब्ल्यू.आर.आर.एम.) 2010 के प्रावधानों के अनुसार, लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण जल के अवैध उपयोग की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठोने हेतु अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जिससे किसी भी परिसर के दरवाजे को तोड़ने के अधिकार सहित जहां कुएं का डूबना या भूजल का निष्कर्षण हो रहा हो[39]।

लेखापरीक्षा ने राज्य उत्पाद शुल्क और उद्योग विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सुचना में पाया कि 78[40] औद्योगिक इकाईयों ने लाइसेंस प्राप्त किए बिना भूजल के निष्कर्षण के लिए 92 बोर/नलकूप स्थापित किए थे। लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पी.एच.ई.डी.), ने हालांकि, भूजल की अवैध निष्कर्षण में शामिल व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की पहचान करने और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। परिणामस्वरूप, इन प्रकरणों में भूजल का अवैध निष्कर्षण जारी रहा

[39] बशर्ते कि मालिक या परिसर पर कब्जा रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, यदि वहां उपस्थित हो तो ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर दरवाजा खोलने से मना कर देता है।

[40] जम्मू: 47 कश्मीर: 31

और ₹ 92 लाख[41] के लाइसेंस शुल्क तथा जल प्रभार की वसूली नहीं हुई। नौ औद्योगिक इकाईयों (मधनिर्माणशालाओं/शराब की बोतल के संयंत्र) के संबंध में लेखापरीक्षा और उत्पाद-शुल्क विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा (सितंबर 2018) किए गए एक संयुक्त जांच से पुष्टि हुई कि ऐसी आठ इकाईयों द्वारा बिना लाइसेंस के 10 बोर/नलकूप के माध्यम से भूजल निष्कर्षण किया जा रहा था। एक औद्योगिक इकाई ने काम करना बंद कर दिया गया था।

आकलैंड बाटलर्स

बसंतर बाटलर्स

कश्मीर बाटलर्स

त्रिकुटा बाटलर्स

दिवान मॉर्डन मधनिर्माणशाला

न्यू इंडिया मधनिर्माणशाला

दिवान मॉर्डन मधनिर्माणशाला

बसंतर मधनिर्माणशाला

सरघम बाटलर्स

[41] ₹ एक लाख की दर 92 बोरवेल/नलकूप

पी.एच.ई.डी. ने बताया (जुलाई 2018) कि संबंधित प्राधिकारियों को इन इकाईयों द्वारा भूजल निष्कर्षण को नियमित करने ओर बकाया सहित उपयोग शुल्क का आकलन/वसूली करने का निर्देश दिया गया है।

(ii) नामित प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सुनिश्चित किए बिना भूजल के निष्कर्षण की अनुमति दी गई है

जे.के.डब्ल्यू.आर.आर.एम. अधिनियम, 2010 के तहत, मुख्य अभियंता/प्रभारी, पी.एच.ई.डी. की पेयजल आपूर्ति और भूजल के संबंध में लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य औद्योगिक विकास निगम (एस.आई.डी.सी.ओ.) सांबा और बारी ब्राहम्ण, जम्मू ने 128 औद्योगिक इकाईयों को अपने परिसर में 138 बोरवेल स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। 128 औद्योगिक इकाईयों में से केवल पांच इकाईयों ने छः बोरवेल लगाने के लिए जे.के.डब्ल्यू.आर.आर.एम. अधिनियम 2010 के तहत नामित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया था। शेष 123 इकाईयां बिना वैध अनापत्ति प्रमाण-पत्र के 132 बोरवेल परिचालित कर रही थी।

पी.एच.ई.डी., जम्मू ने एस.आई.डी.सी.ओ. को सूचित किया (जनवरी 2019) कि सी.आई.डी.सी.ओ. द्वारा दी गई अनुमतियों को अवैध माना जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। और सी.आई.डी.सी.ओ. को संबंधित औद्योगिक इकाईयों को पी.एच.ई विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र करने का निर्देश देने के लिए कहा गया।

3.4 गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने/नवीनीकरण के लिए सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा आवेदनों की प्रोसेसिंग में देरी

गैर-अधिसूचित क्षेत्रों मे, सी.जी.डब्ल्यू.ए. भूजल निष्कर्षण के लिए प्रस्तावों/अनुरोधों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों/ मानदंडों के अनुसार भूजल निष्कर्षण के लिए औद्योगिक/अवसंरचनात्मक/ खनन परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करता है। प्रारंभ में गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र दो वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है और उसके बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाता है। इसके बाद, नवीनीकृत अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रत्येक पाँच वर्ष में नवीनीकृत किया जा सकता है। अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने/नवीनीकरण के लिए आवेदन ऑनलाइन एन.ओ.सी.ए.पी.[42] के

[42] भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन

माध्यम से किया जा सकता है। शर्तों की अनुपालना के संबंध में आवेदन की पूर्णता की जांच के बाद सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमत समय-सीमा 60 दिन है।

2013-19 के दौरान, सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने विभिन्न उद्योगों, खनन और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को भूजल निष्कर्षण के लिए 3,517 नए अनापत्ति प्रमाण-पत्र और 320 अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2019 तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए 10,758 आवेदन और नवीनीकरण हेतु 144 आवेदन लंबित थे। इस प्रकार, लंबित अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की संख्या पिछले छः वर्षों के दौरान जारी किए गए नए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की संख्या से तीन गुना थी।

आवेदनों की प्रोसेसिंग में अवधि-वार विलंब तालिका 3.4 में दिया गया है। लंबित अनापत्ति प्रमाण-पत्र और नवीनीकरण का राज्य-वार ब्यॉरा ***अनुलग्नक 3.2*** में दिया गया है।

तालिका 3.4 अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने/नवीनीकरण के लिए आवेदनों के प्रोसेसिंग में विलंब

विलंब दिनो में	नए आवेदनों हेतु लंबित अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की संख्या	अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के नवीनीकरण हेतु लंबित आवेदनों की संख्या
30 दिन से कम	0	11
31-90	0	24
91 से 180 दिन	2,183	25
181 से 365 दिन	4,755	25
एक वर्ष से तीन वर्षों तक	3,820	56
तीन वर्षो से अधिक	0	3
कुल	**10,758**	**144**[43]

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2019) कि क्षेत्रीय कार्यालयों एवं सी.जी.डब्ल्यू.ए. में मानव संसाधनों[44] की कमी तथा प्रस्तावकों से दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित दस्तावेजों की

[43] सी.जी.डब्लयू.ए. से प्राप्त किए गए 23 राज्यों में से सात के संबंध में सूचना

[44] डी.ओ.डब्लयू.आर.,आर.डी. एवं जी.आर. ने बताया (सितंबर 2020) कि मुख्यालय में सी.जी.डब्ल्यू.ए. के सचिवालय हेतु केवल 10 पदों का सृजन किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालयों मे सी.जी.डब्ल्यू.ए. कार्य के लिए किसी भी पद का सृजन नहीं किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालयों में, प्राधिकरण कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी भी अपने नियमित वैज्ञानिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे।

प्राप्ति में विलंब के कारण आवेदन लंबित थे। डी.ओ.डब्ल्यू.आर.,आर.डी. एवं जी.आर. ने आगे बताया कि माननीय एन.जी.टी. (ओ.ए. सं. 59/2012 दिनांक 03.01.2019) के निर्देशों के अनुसार माननीय एन.जी.टी. के अंतिम निर्देशों के लंबित होने से एन.ओ.सी. हेतु आवेदनों के साथ-साथ अति-दोहित, संकटपूर्ण और अर्ध-संकटपूर्ण क्षेत्रों से नवीनीकरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के सभी मामलों के लंबित होने से लंबित आवेदनों की संख्या में वृद्धि हो गई।

उत्तर तर्कसंगत नही था चूंकि एन.जी.टी. द्वारा ऐसे आदेश जारी किए जाने से पहले ही 181 दिनों से अधिक समय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए 8,575 आवेदन लंबित थे। इसके अलावा, माननीय एन.जी.टी. के निर्देशों के अनुपालन में, सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किए (सितंबर 2020) हैं और इसलिए, लंबित आवेदनों के निस्तारण में शीघ्रता लाने की आवश्यकता है।

3.5 अनापत्ति प्रमाण-पत्र की समाप्ति पर नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त न होना

जैसा पैरा 3.4 में उल्लेख किया गया है, प्रारंभ में दो वर्ष के लिए दिए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र को तीन वर्ष के लिए और फिर प्रत्येक पाँच वर्ष में नवीनीकृत किया जा सकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 474 मामलों में, अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण 2013-18 के दौरान लंबित था परंतु परियोजना प्रस्तावकों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने इन परियोजना प्रस्तावकों के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15[45] के तहत कीई कार्रवाई नही की। इस प्रकार, अनापत्ति प्रमाण-पत्र के समाप्त होने के बाद भी, मौजूदा उद्योग/परियोजनाएं बिना किसी नियमन के भूजल का निष्कर्षण करती रही।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2019) कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चूककर्ता फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। डी.ओ.डब्ल्यू.आर,आर.डी. एवं जी.आर. ने आगे बताया कि यदि परियोजना प्रस्तावक के पास सी.जी.डब्ल्यू.ए./एस.जी.डब्ल्यू.ए. से भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं था तो अनेक राज्यों में संबंधित

[45] कोई भी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या बनाए गए नियमों या इसके तहत जारी किए गए आदेशों व निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है या उल्लंघन करता है, ऐसी प्रत्येक विफलता और उल्लंघन के संबंध में, कारावास के साथ दंड हो सकता है जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना, जो एक लाख रूपए तक हो सकता है या दोनों, और यदि विफलता या उल्लंघन जारी रहता है तो अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है जो प्रत्येक दिन के लिए पाँच हजार रूपये तक हो सकता है जिसके दौरान विफलता या उल्लंघन पहली ऐसी विफलता या उल्लंघन दोष सिद्ध होने के बाद भी जारी रहता है तो।

एस.पी.सी.बी. द्वारा जारी सी.टी.ओ. के नवीनीकरण के लिए विचार नहीं किया गया था।

हालांकि, विभाग ने उपरोक्त 474 मामलों के विरूद्ध जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की वास्तविक संख्या उपलब्ध नहीं की।

3.6 पीजोमीटर का संस्थापन

भूजल निष्कर्षण के लिए दिशानिर्देश (नवंबर 2015), के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि भूजल स्तर की निगरानी के लिए पीजोमीटर को परियोजना प्रस्तावक द्वारा उस पंपिग कुएं से 50 मीटर की न्यूनतम दूरी पर संस्थापित/निर्मित किया जाना है जिसके माध्यम से भूजल को खींचा जा रहा है। भूजल स्तर को मासिक रूप से मापा जाना चाहिए। सी.जी.डब्ल्यू.बी. के नेशनल हाइड्रोग्राफ मॉनिटरिंग सिस्टम[46] में पीजोमीटर लगाने और इसके वैधीकरण के लिए निर्देशांक, कम स्तर (माध्य स्तर के संबंध में), गहराई, टैप किए हुए क्षेत्र और कम किए गए संयोजन के बारे में ब्योरा प्रदान किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीजोमीटर की संस्थापना, जल स्तर पर आंकड़े, जल स्तर में परिवर्तन आदि के संबंध में कोई ब्योरा परियोजना प्रस्तावकों से प्राप्त नही हुए थे। जिसके परिणामस्वरूप, पीजोमीटर को न तो सी.जी.डब्ल्यू.बी. के नेशनल हाइड्रोग्राफ मॉनिटरिंग सिस्टम में लाए गए और न ही वैधीकरण किया गया। इन पीजोमीटरों से उपर्युक्त आंकड़ों के अभाव में, देश में भूजल की स्थिति से संबंधित आंकड़े उस सीमा तक पूर्ण नहीं थे। सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने इस आवश्यकता का अनुपालन नहीं करने के लिए परियोजना प्रस्तावकों के विरूद्ध कार्रवाई[47] नहीं की थी।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2019) कि पीजोमीटरों का जल स्तर आंकड़ा प्रस्तावकों से वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जा रहा था। यह सुनिश्चित करने के प्रयास जारी थे कि इस आंकड़े को सी.जी.डब्ल्यू.बी. के डेटाबेस में उपयुक्त रूप से एकीकृत किया गया था और परिवेशी भूजल व्यवस्था पर उद्योगों/अवसंरचना इकाईयों/खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल निष्कर्षण के प्रभाव का आकलन करने के लिए सी.जी.डब्ल्यू.ए./सी.जी.डब्ल्यू.बी. को सक्षम बनाने के लिए यथोचित प्रोटोकॉल विकसित करना। उत्तर इंगित करता है

---

[46] राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ नेटवर्क स्टेशनों की स्थापना स्थानिक रूप से वितरित अवलोकन बिंदु की एक प्रणाली है जिस पर भूजल और शासन व्यवहार की आवधिक निगरानी की जाती है।

[47] एन.ओ.सी. में उल्लिखित शर्तों का पालन न करने को एन.ओ.सी. रद्द करने/एन.ओ.सी. के गैर नवीनीकरण को रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण के रूप में लिया जा सकता है।

कि सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने अभी तक परियोजना प्रस्तावकों द्वारा भूजल निष्कर्षण के प्रभाव का आकलन नहीं किया था। उत्तर में प्रस्तावकों द्वारा अनुपालन की सीमा और सी.जी.डब्ल्यू.बी. के डेटाबेस में आंकड़ों के एकीकरण की समय-सीमा के विषय में कुछ भी नहीं बताया गया था।

3.7 अधिसूचित क्षेत्रों में भूजल निष्कर्षण का विनियमन

सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने भूजल विकास के नियमन के उद्देश्य से 14[48] राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 162 मूल्यांकन इकाईयों/क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। इन क्षेत्रों को अति-दोहन, प्रदूषण, भूजल संसाधनों की स्थिरता और पीने एवं घरेलू उपयोग हेतु सीमित उपलब्ध ताजे जल संसाधनों की सुरक्षा की आवश्यकता के आधार पर अधिसूचित किया गया था।

अधिसूचित क्षेत्रों में भूजल विकास का विनियमन जिला प्रशासनिक प्रमुखों के माध्यम से किया जाना है, जिनको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत अधिकृत अधिकारियों के रूप में घोषित किया गया है। भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने, उल्लंघनों की जांच करने, नलकूपों को सील करने, अपराधियों के विरूद्ध मुकदमा चलाने, आदि से संबंधित सभी मुद्दों, को अधिकृत अधिकारियों द्वारा संबोधित किया जाएगा। भूजल विकास एवं प्रंबधन के अधिक प्रभावी विनियमन के लिए जिला क्लेक्टर/उपायुक्तों की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समितियों के गठन का प्रस्ताव दिया गया था। ऐसी समितियां भूजल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन से संबंधित मामलों में जिला क्लेक्टरों/उपायुक्तों को परामर्श भी देती हैं।

यह मानते हुए कि मूल्यांकन इकाईयों/ब्लॉकों की अधिसूचना मौजूदा प्राथमिकताओं और ज्ञान के आधार के अनुसार की गई थी और ऐसी अधिसूचना के लिए कोई समान मानक/मानदंड नहीं अपनाए गए थे, डी.ओ.डब्ल्यू.आर.,आर.डी. एवं जी.आर. ने अधिसूचना के मानदंडों की समीक्षा करने और मूल्यांकन इकाईयों की अधिसूचना के लिए मानक मानदंड सुझाने के लिए एक समिति (अक्टूबर 2017) का गठन किया।

समिति की रिपोर्ट सी.जी.डब्ल्यू.ए. के सदस्यों के समक्ष रखी गई थी (सितंबर 2018) और भूजल के लिए मूल्यांकन इकाईयों की अधिसूचना के कार्य को समाप्त करने के लिए सर्वसम्मति व्यक्त की गई थी।

---

[48] इनमें से, सात राज्यों के पास अपना विनियमन है।

तदनुसार, सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने सुरक्षित, अर्ध-संकटपूर्ण, संकटपूर्ण और अति-दोहन के रूप में वर्गीकरण के आधार पर क्षेत्रों में इकाईयों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए शर्तों को निर्धारित करते हुए संशोधित दिशानिर्देश (सितंबर 2020) जारी किए। संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत अति-दोहन किए गए क्षेत्रों में अब सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्धमों (एम.एस.एम.ई.) की श्रेणी में आने वाले नए उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पूर्व में अधिसूचित 162 क्षेत्रों में से 155 'अति-दोहन' किए गए क्षेत्रों में सम्मिलित है। पिछले दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में पीने के पानी के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भूजल की निकासी करने की अनुमति नहीं दी गई थी, चूंकि उनको अधिसूचित किया गया था। दिशा-निर्देशों के नवीनतम संशोधन के साथ, ऐसे क्षेत्रों में एम.एस.एम.ई. इकाईयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अनुमति होगी यद्यपि उनको अति-दोहन किए गए के रूप में वर्गीकृत किया गया हो।

अधिसूचित क्षेत्रों में भूजल के विनियमन के संबंध में महत्वपूर्ण अवलोकन नीचे पैराग्राफों में दिए गए हैं।

3.7.1 सलाहकार समिति का गठन और बैठकें

अधिसूचित क्षेत्रों में, पीने के पानी के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी सक्रिय माध्यम से भूजल निष्कर्षण की अनुमति नहीं दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए गठित सलाहकार समिति के परामर्श से अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। सलाहकार समिति का गठन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में किया गया था। अधिसूचित क्षेत्र में संबंधित डी.सी./डी.एम. द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए सलाहकार समितियों की महीने में एक बार बैठक होनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक राज्य (पश्चिम बंगाल) में सलाहकार समिति के गठन का कोई प्रावधान नहीं था। एक राज्य (आंध्र प्रदेश) में कोई सलाहकार समिति गठित नहीं की गई थी और पाँच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सलाहकार समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित नहीं की गई थी, जैसा कि तालिका 3.5 में उल्लिखित है। शेष राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

तालिका 3.5: सलाहकार समितियों का गठन नहीं किया जाना

क्रं.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	**दमन व दीव**	दीव अधिसूचित क्षेत्र के लिए 2004 में सलाहकार समिति का गठन किया गया और समिति को अप्रैल 2019 तक विस्तारित भी किया गया था। हालांकि, फरवरी 2019 तक दीव जिले में सलाहकार समिति की कोई बैठक नही हुई थी अर्थात् समिति के गठन के बाद लगभग 15 वर्षों तक।
2.	**गुजरात**	गाँधीनगर जिले के सभी तीन अधिसूचित तालुकों (सितंबर 2000/ नवंबर 2012 में अधिसूचित) और मेहसाणा जिले के मेहसाणा तालुक (नवंबर 2012) में अधिसूचित) के लिए सलाहकार समितियां क्रमशः फरवरी 2014 और फरवरी 2018 में क्रमशः 13 वर्षों से अधिक की देरी एवं पांच वर्ष के बाद गठित की गई। इसके अलावा, गांधीनगर जिले में केवल चार सलाहकार समिति की बैठकें हुई और मेहसाणा जिले में कोई बैठक नहीं हुई। इसके अलावा, गांधीनगर और मेहसाणा दोनों जिलों में, सी.जी.डब्ल्यू.ए., नई दिल्ली के आदेश (दिसंबर 2012) के अनुसार, विभिन्न संगठनों के पांच सदस्यों के साथ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सलाहकार समिति का गठन किया जाना था। हालांकि, अधिकृत अधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट, गांधीनगर जिले के सभी तीन तालुकों के लिए गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया। इसी प्रकार, मेहसाणा में अधिकृत अधिकारी ने क्षेत्रीय निदेशक, सी.जी.डब्ल्यू.ए. अहमदाबाद के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जोकि सलाहकार समिति के प्रमुख सदस्यों में से एक है। लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए क्लेक्टर, गाँधीनगर एवं क्लेक्टर मेहसाणा ने बताया (सितम्बर 2018 एवं अक्टूबर 2018) कि एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि एवं क्षेत्रिय निदेशक, सी.जी.डब्ल्यू.ए. अहमदाबाद को क्रमशः जोड़ा जाएगा।
3.	**हरियाणा**	हरियाणा के 11 अधिसूचित जिलों में से, 10 जिलों (कैथल जिले को छोड़कर) में जिला स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन किया गया था। जिला स्तरीय सलाहकार समितियों की बैठक की कोई निर्धारित आवृत्ति नहीं थी। समितियों की बैठकें वर्ष 2013-18 की अवधि के दौरान केवल भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आयोजित की गई थीं। निगरानी के उद्देश्य से बैठकें आयोजित नहीं की गई थी। 2013-18 के दौरान नमूना-जांच हेतु पांच जिलों में 29 बैठकें आयोजित की गई।
4.	**मध्य प्रदेश**	राज्य में सात अधिसूचित क्षेत्रों में से इंदौर जिले में केवल एक अधिसूचित क्षेत्र में सलाहकार समिति का गठन किया गया था। वर्ष 2013-19 के दौरान इंदौर में 36 बैठकें हुई।
5.	**राजस्थान**	12 अधिसूचित क्षेत्रों में से नौ में सलाहकार समिति का गठन किया गया था। करौली जिले में सहालकार समिति का गठन नहीं किया गया तथा अजमेर एवं बाड़मेर जिले के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नही कराई गई।

भूजल निष्कर्षण के प्रभावी नियमन के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में सलाहकार समितियों की अवधारणा को प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, सलाहकार समिति की अनुपस्थिति या दुर्लभ बैठकों ने उस उद्देश्य को विफल कर दिया, जो समिति का प्रयोजन था। हालांकि, संशोधित दिशानिर्देशों (सितंबर 2020) में सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा क्षेत्रों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।

3.7.2 'व्यक्तिगत परिवारों के अलावा' अन्य के द्वारा ड्रिलिंग जानकारी जमा न करना

अधिसूचित क्षेत्र में 'व्यक्तिगत घरों के अलावा' के संबंध में भूजल निष्कर्षण के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, निष्कर्षण संरचना में पानी के मीटर की संस्थापना अनिवार्य थी और इस प्रकार की संस्थापना की पुष्टि निर्माण के तुरंत बाद सी.जी.डब्ल्यू.बी. के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करते हुए अधिकृत अधिकारी को दी जानी चाहिए। ड्रिलिंग के सभी विवरण जैसे-कुएं[49] का स्थान, निर्मित संरचनाएं, निर्मित भूजल निष्कर्षण संरचनाओं की गहराई और व्यास, उपयोग किए गए पाइपों के प्रकार, बोरवेल/नलकूप की उपज, दरार वाले जोन का सामना करना, जोन को टैप करना और भूजल की गुणवत्ता, आदि, निर्माण के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर अधिकृत नोडल एजेंसी और सी.जी.डब्ल्यू.बी. क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सी.जी.डब्ल्यू.बी.ए./सी.जी.डब्ल्यू.बी. के क्षेत्रीय कार्यालयों ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि ऐसी सूचना 'व्यक्तिगत परिवारों के अलावा' अन्य से प्राप्त हुई थी जिनको अधिसूचित क्षेत्र में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए थे। इस प्रकार, सी.जी.डब्ल्यू.ए. के पास अधिसूचित क्षेत्रों में ड्रिल किए गए अधिकृत बोरवेल के संबंध में दिशानिर्देशों में निर्धारित मापदंड़ो पर कोई आंकड़े नहीं थे।

3.8 अपने स्वयं के विनियमन वाले राज्यों द्वारा भूजल का नियमन

तेरह[50] राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल विनियमन के उद्देश्य से राज्य भूजल प्राधिकरण (एस.जी.डब्ल्यू.ए.) का गठन किया है या सरकारी आदेश जारी किए गए हैं। इन राज्यों में, भूजल के लिए नियमन एस.जी.डब्ल्यू.ए. या नामित अधिकारियों द्वारा किया जाता है। लेखापरीक्षा में छः राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल के नियमन में

---

[49] अक्षांश और देशान्तर

[50] आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, एन.सी.टी. दिल्ली (सरकारी आदेशों के माध्यम से), तमिलनाडु (सरकारी आदेशों के माध्यम से), तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, चंड़ीगढ़ (उप-नियम के माध्यम से), पुडुचेरी और लक्षद्वीप।

कमियां देखी गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख तालिका 3.6 में उल्लिखित किया गया है।

तालिका 3.6: स्व-विनयमित राज्यों में भूजल का विनियमन

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>राज्य</th><th>लेखापरीक्षा प्रेक्षण</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>आंध्र प्रदेश</td><td>सी.जी.ड़ब्ल्यू.ए. द्वारा घोषित अधिसूचित क्षेत्रों के अलावा, एस.जी.डब्ल्यू.ए., ए.पी.डब्ल्यू.ए.एल.टी.ए. अधिनियम 2002 के तहत आवधिक भूजल आंकलन[51] समिति (जी.ई.सी.) के आंकलन के आधार पर अलग से क्षेत्रों को भी अधिसूचित करता है। एस.जी.डब्ल्यू.ए. ने आंध्र प्रदेश राज्य के नौ जिलों के 168 ब्लॉकों/मंडलों में 1,227 गांवों को जनवरी 2018 के दौरान जी.ई.सी. 2012-13 रिपोर्ट के आधार पर अति-दोहित अधिसूचित किया है। सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने 97 गाँवों वाले पांच मंडलों[52] को अधिसूचित किया था। अंतर इस तथ्य के कारण था कि सी.जी.डब्ल्यू.ए. मंडल को क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए इकाई मानता है जबकि राज्य प्राधिकरण गांव के क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए इकाई मानता है। इसके परिणामस्वरूप ऐंसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा अधिसूचित मंडल के कुछ गांवों को राज्य की अधिसूचित सूची में अति शोषित नहीं माना जा सकता जैसा कि तालिका 3.6.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6.1: सी.जी.डब्ल्यू.ए. और एस.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा अधिसूचित गांवों में अंतर
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>जिला</th><th>सी.जी. डब्ल्यू.ए. द्वारा अधिसूचित मंडल</th><th>सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा अधिसूचित मंडलों में गांवों की संख्या</th><th>ए.पी.डब्ल्यू. ए.एल.टी.ए. द्वारा अधिसूचित अति-दोहित गांवों की संख्या</th><th>ए.पी.डब्ल्यू. ए.एल.टी.ए. द्वारा अधिसूचित नहीं किए गए गांवों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td rowspan="2">अंनतपुरामु</td><td>चिलमात्तुर</td><td>21</td><td>6</td><td>15</td></tr>
<tr><td>2</td><td>नरपाला</td><td>12</td><td>3</td><td>9</td></tr>
<tr><td>3</td><td>चित्तूर</td><td>तिरूपति ग्रामीण</td><td>29</td><td>10</td><td>19</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रकासम</td><td>गिडालूरू</td><td>20</td><td>11</td><td>9</td></tr>
<tr><td>5</td><td>वाइ.एस.आर. कडप्पा</td><td>वैम्पल्ली</td><td>15</td><td>4</td><td>11</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td></td><td>97</td><td>34</td><td>63</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

[51] आंध्र प्रदेश में, जी.ई.सी. द्वारा भूजल स्तर का ग्राम स्तर पर आवधिक मूल्यांकन किया गया था एवं जी.ई.सी. रिपोर्ट सी.जी.डब्ल्यू.बी. को भेजी गई थी। सी.जी.डब्ल्यू.बी. की मंजूरी के बाद, राज्य डब्ल्यू.ए.एल.टी.ए. के जारी अधिसूचना में ओ.ई. गांवों की एक सूचि शामिल है जहां पीने के उद्देश्यों को छोड़कर भूजल निष्कर्षण पर प्रतिबंध लगाया गया है। जी.ई.सी. रिपोर्ट 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 (2016-17 सी.जी.डब्ल्यू.बी. द्वारा अनुमोदित और अधिसूचना बाकी) में तैयार की गई थी।

[52] छिलामातूर, गिद्दालुरू, नरपाला, तिरूपति ग्रामीण एवं वैम्पाल्ली

क्रं.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
		इस प्रकार 63 गांव जो सी.जी.डब्ल्यू. द्वारा अति-दोहित के रूप में अधिसूचित है, में अनुमतियों (एन.ओ.सी.) पर प्रतिबंध नहीं है क्योंकि उन्हें राज्य द्वारा अति-दोहित गांवों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। सी.जी.डब्ल्यू.बी. अधिसूचित मंडल में गैर-अधिसूचित गांवों में वाणिज्यिक/औद्योगिक उपयोग के लिए भूजल के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाने के कारण शेष गांव अल्प अवधि में अर्ध-संकटपूर्ण/संकटपूर्ण से अति-दोहित गांवों की श्रेणी में आते है। जल संसाधन विभाग ने कहा (जुलाई 2019) कि आंध्र प्रदेश सरकार कुछ गांवों को अति-दोहित के रूप में अधिसूचित कर रही थी और पेयजल को छोडकर सभी उद्देश्यों के लिए नए कुओं के निर्माण पर प्रतिबंध लगा रही थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो ग्राम स्तर पर भूजल का आंकलन करता है; इसलिए ग्राम स्तर पर भी अधिसूचिना लागू की गई। हालांकि, तथ्य यह रहा कि अति-दोहित क्षेत्रों के वर्गीकरण में अंतर के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में विनियमन की कमी रही जिन्हें राज्य विभाग द्वारा बाहर रखा गया था।
2.	**दिल्ली**	जुलाई 2010 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी जिलों को अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेयजल के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए अनाप्ति प्रमाण-पत्र जारी किए थे। सक्षम प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा के लिए चयनित पांच जिलों में 2013-18 की अवधि के दौरान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 407 एन.ओ.सी. और सिंचाई और कृषि परियोजनाओं में 169 एन.ओ.सी. जारी किए। इसके अलावा, इन परियोजनाओं/मामलों को एन.ओ.सी. में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य नियामक प्राधिकरणों द्वारा एन.ओ.सी. में उल्लिखित नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए कोई तंत्र निर्धारित नहीं किया गया था। एन.ओ.सी. में उल्लिखित भूजल निकासी के लिए शर्तों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी/ सक्षम प्राधिकरण द्वारा साइट के निरीक्षण के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकरण/अधिकृत अधिकारी ने साइट का कोई निरीक्षण नहीं किया और इसलिए इस बात से अनजान थे कि परियोजना प्रस्तावक एन.ओ.सी. के नियमों और शर्तों का किस हद् तक अनुपालन कर रहे थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अधिसूचना (जुलाई 2010) के अनुसार, सलाहकार समिति को 2013-18 की अवधि के दौरान कम से कम 60 बैठकें (12 प्रति वर्ष) आयोजित करने की आवश्यकता थी। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि इस अवधि के दौरान पांच जिलों में केवल चार से 31 बैठकें[53] हुई थीं।

[53] पश्चिमी जिला-4, दक्षिण जिला-14, उत्तर-पश्चिम जिला-10, दक्षिण-पश्चिम जिला-31 और पूर्व जिला-17 बैठकें

क्रं.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
3.	**कर्नाटक**	सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने कर्नाटक में 22 क्षेत्रों को अधिसूचित किया है जबकि एस.जी.डब्ल्य.ए. ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार 43 क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। सी.जी.डब्ल्यू.ए. के 22 अधिसुचित क्षेत्रों में से 21 क्षेत्र एस.जी.डब्ल्यू.ए. की अधिसूचित क्षेत्रों की सूची में शामिल हैं। लेखापरीक्षा में देखा गया कि बैंगलौर ग्रामीण (106), बैंगलौर शहरी जिलों (578) और बी.बी.एम.पी. क्षेत्रों (10,971) में एन.ओ.सी. के लिए आवेदन 2013-14 से लंबित थे। लंबित होने के कारणों में स्थलों का निरीक्षण करने में कठिनाई क्योंकि जिला कार्यालय के तहत केवल दो भू-वैज्ञानिक अपने जिलों के सभी 198 बी.बी.एम.पी. वार्डों और चार तालुकों को कवर करने के लिए काम कर रहे थे, जिला कार्यालयों से सूचना/निरीक्षण का अभाव को जिम्मेदार ठहराया गया था। यह भी बताया गया कि कार्यालय में संपर्क पता न होने के कारण आवेदक से पत्र व्यवहार नहीं हो पा रहा था।
		कर्नाटक में, कृषि प्रयोजन के लिए भूजल की निकासी के लिए परमिट देने की शक्ति जिला भूजल समिति को सौंपी गई है। बेलगावी, बागलकोट और चिकमग्लूर जिलों में कृषि उद्देश्य के लिए एन.ओ.सी. जारी किए थे। एन.ओ.सी. की शर्तों में निर्धारित किया गया था कि कम पानी की उपज वाली फसलें उगाईं जानी थी। हालांकि, अनाप्ति प्रमाण-पत्र के आवेदन प्रारूप में आवेदक द्वारा उगाई जाने वाली फसल की प्रकृति/प्रकार की घोषणा नहीं की गई थी। आवेदक से पूर्णता रिपोर्ट प्राप्त करने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। उगाई गई फसल के प्रकार की जानकारी के अभाव में, शर्तों के उल्लंघन यदि कोई हो का पता नहीं चल सका, क्योंकि विभाग ने कोई निरीक्षण[54] ही नहीं किया था।
4.	**केरल**	केरल में एस.जी.डब्ल्यू.ए. ने 5 ब्लॉकों को अधिसूचित किया है जबकि सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने किसी भी ब्लॉक को अधिसूचित नहीं किया।
5.	**पुडुचेरी**	सी.जी.डब्ल्यू.ए. के अनुसार, केवल पुडुचेरी क्षेत्र[55] को अधिसूचित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। हालांकि पुडुचेरी सरकार ने फरवरी 2005 से पुडुचेरी (अति-दोहित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत) और कराईकल (सुरक्षित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत) क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया। पुडुचेरी भूजल प्राधिकरण पेयजल, कृषि, औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पानी निष्कर्षण का परमिट जारी करता है। औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के उद्देश्यों के लिए भूजल निष्कर्षण के आवेदनों के मूल्यांकन के लिए एक क्षेत्रीय समिति (जुलाई 2010) का गठन किया गया था।

[54] कर्नाटक भूजल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2011 और नियम 2012 किसी भी निरीक्षण को करने के लिए कोई विशिष्ट शर्त या निर्धारित आवृति प्रदान नहीं करता है। हालांकि, अधिनियम की धारा 17 विभाग को कुंओं का निरीक्षण करने का अधिकार देती है।

[55] संघ क्षेत्र पुडुचेरी के पास चार क्षेत्र हैं। इन चार क्षेत्रों में से, पुडुचेरी सरकार ने पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है। यनम और माहे क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र नहीं है।

क्रं.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
		प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं थी क्योंकि पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदनों की प्राप्ति और निष्कर्षण की निगरानी के लिए अलग रिकॉर्ड नहीं बनाए गए थे। तथापि 31 मार्च 2018 तक, पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए लंबित 11 आवेदनों को पी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा संसाधित किया जाना था। विलंब की अवधि 341 से 365 दिनों के बीच थी और पी.जी.डब्ल्यू.ए. ने मानव संसाधनों की कमी के लिए विलंब को जिम्मेदार ठहराया।
6.	**पश्चिम बंगाल**	सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में केवल पेयजल के लिए और केवल अगर सार्वजनिक जल आपूर्ति ना होने पर ही एन.ओ.सी. जारी की जा सकती है। सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने अगस्त 2000 में हल्दिया औद्योगिक परिसर नामक एक अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया। अधिसूचित क्षेत्र में भूजल के प्रबंधन और विनियमन के लिए राज्य भूजल अधिनियम में कोई अलग एवं विशेष प्रावधान नहीं था। हालांकि, राज्य स्तरीय प्राधिकरण ने भूजल के प्रबंधन और विनियमन के लिए सी.जी.डब्ल्यू.ए. के आवश्यक दिशा-निर्देशों के साथ हल्दिया को एक अधिसूचित क्षेत्र का दर्जा बनाए रखने का निर्णय किया (जून 2009)। राज्य स्तरीय प्राधिकरण ने (जून 2009) में अधिसूचित क्षेत्र को स्थिति बनाए रखने के लिए राज्य भूजल अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्तावित किया था लेकिन फरवरी 2019 तक कोई संशोधन नहीं किया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2013-18 के दौरान भूजल के दोहन के लिए हल्दिया के अधिसूचित क्षेत्र में पूर्व मिदानापुर में 10 उद्योग और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को 17 परमिट जारी किए थे हालांकि क्षेत्र में सार्वजनिक जल आपूर्ति उपलब्ध थी। इस प्रकार सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। आगे यह भी देखा गया कि जिला स्तरीय प्राधिकरण द्वारा समय पर बैठकों का संचालन न करने के कारण पूर्व मिदनापुर में छः परमिट जारी करने में 34-90 दिनों की देरी हुई।

संशोधित दिशा-निर्देशों (सितंबर 2020) के अनुसार जहां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने भूजल निष्कर्षण से संबंधित अपने स्वयं के दिशा-निर्देश जारी किए है, जोकि सी.जी.डब्ल्यू.ए. दिशा-निर्देशों के असंगत है, वहां सी.जी.डब्ल्यू.ए. दिशा-निर्देशों के प्रावधान मान्य होंगें। हालांकि, एन.ओ.सी. प्रदान करने संबंधित प्रक्रिया को वेब आधारित एप्लिकेशन प्रणाली के द्वारा ऑनलाईन किया जाता है।

3.9 एस.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

भूजल निष्कर्षण के लिए दिशा-निर्देशों (2015) के अनुसार, एस.जी.डब्ल्यू.ए. को रिकॉर्ड के लिए सी.जी.डब्ल्यू.ए. को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नही की गई थी। सी.जी.डब्ल्यू.ए. (अक्टूबर 2018) ने लेखापरीक्षा के उदाहरण पर अपने क्षेत्रीय कार्यालयों

से ऐसी एक रिपोर्ट मांगी। हालांकि, सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने (जून 2019) कहा कि बार-बार अनुरोध और अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद उक्त प्रगति रिपोर्ट केवल तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी से प्राप्त हुईं थी। शेष 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और इन राज्यों से कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकी थी। इन रिपोर्टों के अभाव में सी.जी.डब्ल्यू.ए. इन राज्यों में विनियमन की स्थिति से अंजान था।

डी.ओ.डब्ल्यू.आर.,आर.डी. एवं जी.आर. ने कहा (अक्टूबर 2019) कि राज्यों द्वारा गैर रिपोर्टिंग की इस समस्या को दूर करने के लिए सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने एक सामान्य अनुप्रयोग प्रणाली के साथ प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को एक समान मंच प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। और माननीय एन.जी.टी. द्वारा भूजल विनियमन से संबंधित नीति/दिशा-निर्देशों पर अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद, सामान्य अनुप्रयोग प्रणाली को विकसित करने के लिए उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देश (सितंबर 2020) यह निर्धारित करते है कि एन.ओ.सी. में निर्धारित शर्तों का आत्म-अनुपालन सी.जी.डब्ल्यू.ए./ एस.जी.डब्ल्यू.ए. के वेब पोर्टल में उपयोगकर्ताओं द्वारा ऑनलाईन रिपोर्ट किया जाएगा। सी.जी.डब्ल्यू.ए. को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि परियोजना प्रस्तावक अपने पोर्टल पर अपना आत्म-अनुपालन विधिवत प्रस्तुत करें।

3.10 सी.जी.डब्ल्यू.ए. और अधिकृत अधिकारियों द्वारा एन.ओ.सी. के बाद निगरानी

3.10.1 एन.ओ.सी. में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अनुसार, सी.जी.डब्ल्यू.ए. को उन लोगों के उपर दंडात्मक प्रावधानों का सहारा लेने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल या उल्लंघन किया है। सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने (अक्टूबर 2017) 23[56] राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक राजस्व क्षेत्र के जिला उपायुक्त को सी.जी.डब्ल्यू.ए. के निर्देशों और भूजल निष्कर्षण प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में निर्धारित शर्तों को लागू करने के उद्देश्य से अधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया।

---

[56] अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान एवं निकोबार, दादर एवं हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप द्वीप-समूह। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास भूजल के नियमन के लिए अपना तंत्र है।

लेखापरीक्षा ने सी.जी.डब्ल्यू.ए., राज्य प्राधिकरणों और अधिकृत अधिकारियों के साथ अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में चयनित मामलों[57] में उद्योगों/परियोजना स्थलों (व्यक्तिगत परिवारों के अलावा) में सी.जी.डब्ल्यू.ए. एवं अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई एन.ओ.सी. में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के सत्यापन के लिए संयुक्त क्षेत्र का दौरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि एन.ओ.सी. में उल्लिखित शर्तों का व्यापक गैर अनुपानल था जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

(i) एन.ओ.सी. की सामान्य शर्तें जिनका उल्लंघन किया गया था

एन.ओ.सी. की शर्तें जिनका उल्लंघन किया गया था तथा उल्लंघन की सीमा तालिका 3.7 में दर्शाई गई है। राज्य-वार निष्कर्ष ***अनुलग्नक 3.3*** में दिए गए है।

तालिका 3.7 एन.ओ.सी. की शर्तों के उल्लंघन के मामले।

क्रं.सं.	वर्ग	एन.ओ.सी. में वर्णित परियोजनाओं की संख्या जिनमें शर्तों का वर्णन था	उन मामलों की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. की शर्तों का उल्लंघन हुआ	उन मामलों का प्रतिशत जिनमें एन.ओ.सी. की शर्तों का उल्लंघन हुआ
1.	**नलकूपों की संख्या** नलकूप, बोरवेल और खोदे गए कुंएं भूजल निष्कर्षण की संरचनाएँ हैं। एन.ओ.सी. की शर्तों के अनुसार, परियोजना प्रस्तावक को एन.ओ.सी. में वर्णित ट्यूबवेल/बोरवेल की निर्धारित संख्या का निर्माण करना होगा।	1,238	104	8
2.	**जल मीटर की स्थापना** जल प्रवाह मीटर एक ऐंसा उपकरण है जो एक पाइप से गुजरने वाले पानी की मात्रा को मापने में सक्षम है। विभिन्न परियोजनाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते समय एक शर्त थी कि जल मीटर बोरवेल ट्यूबवेल में फर्म द्वारा स्वयं के खर्चे पर लगाए जाएंगे तथा भूजल निष्कर्षण की निगरानी की जानी थी।	967	378	39

[57] गैर अधिसूचित क्षेत्र - 595 अधिसूचित क्षेत्र - 221, स्व-विनियमित - 472

क्रं.सं.	वर्ग	एन.ओ.सी. में वर्णित परियोजनाओं की संख्या जिनमें शर्तों का वर्णन था	उन मामलों की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. की शर्तों का उल्लंघन हुआ	उन मामलों का प्रतिशत जिनमें एन.ओ.सी. की शर्तों का उल्लंघन हुआ
3.	**पीजोमीटर की स्थापना** पीजोमीटर एक बोरवेल/ट्यूबवेल है जिसका उपयोग केवल टेप/साउंडर या स्वचालित जल स्तर मापने वाले उपकरण को कम करके जल स्तर को मापने के लिए किया जाता है। एन.ओ.सी. की शर्त के अनुसार, सी.जी.डब्ल्यू.बी. के परामर्श से पीजोमीटर स्थापित किए जाने थे।	709	351	50
4.	**स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर की स्थापना** एन.ओ.सी. की शर्तानुसार, स्थापित पीजोमीटर में भूजल की वास्तविक समय निगरानी के लिए स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर (ए.डब्ल्यू.एल.आर.) लगाया जाना था।	342	210	61
5.	**मानसून पूर्व और बाद के भूजल की गुणवत्ता की निगरानी।** एन.ओ.सी. की शर्तानुसार, प्रत्येक जल निष्कर्षण इकाई को वर्ष में दो बार प्री मानसून (मई/जून) और मानसून के बाद (अक्टूबर/नवंबर) की अवधि में भूजल की गुणवत्ता की निगरानी करनी होती थी।	659	285	43
6.	**कुंओं के जल स्तर के आंकड़ों की निगरानी।** एन.ओ.सी. की शर्त के अनुसार फर्मों को परिसर में पीजोमीटर लगाना था और इसके माध्यम से भूजल स्तर के आंकड़ों की निगरानी करनी थी।	688	334	49
7.	**वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण** जिन इकाईयों को भूजल निष्कर्षण की अनुमति दी गई है उन्हें वर्षाजल संचयन/रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण	987	429	43

क्रं.सं.	वर्ग	एन.ओ.सी. में वर्णित परियोजनाओं की संख्या जिनमें शर्तों का वर्णन था	उन मामलों की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. की शर्तों का उल्लंघन हुआ	उन मामलों का प्रतिशत जिनमें एन.ओ.सी. की शर्तों का उल्लंघन हुआ
	करके भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाना होगा। पुनर्भरण परिसर या उसी वाटरशेड/मूल्यांकन इकाई के भीतर लागू किया जाना चाहिए।			
8.	**वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं का रख रखाव** कृत्रिम पुनर्भरण प्रयासों का उद्देश्य उपयुक्त सिविल निर्माण तकनीकों के माध्यम से सतही जल के प्राकृतिक संचलन को भूजल में बढ़ाना है। इनका उचित रखरखाव किया जाना चाहिए तथा समय-समय पर गाद निकालने का काम किया जाना चाहिए।	558	220	39
9.	**अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।** एन.ओ.सी. में वर्णित शर्तों के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट सी.जी.डब्ल्यू.ए./नियामक एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना था।	776	438	56
10.	**निर्धारित सीमा से अधिक वार्षिक भूजल का निष्कर्षण** सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा जारी एन.ओ.सी. एक परियोजना प्रस्तावक द्वारा निकाले जाने वाले वार्षिक भूजल की मात्रा को निर्धारित करता है।	787	61	8
11.	**मल-सीवेज/अपशिष्ट उपचार संयत्र की स्थापना** एन.ओ.सी. प्रदान की गई फर्म को पर्याप्त उपचार के बाद अपशिष्ट जल का उचित पुर्नचक्रण और पुनः उपयोग सुनिश्चित करना था। डी.ओ.डब्ल्यू.आर. एवं आर.डी. एवं जी.आर. ने कहा (अक्टूबर 2019) की मल-सीवेज/अपशिष्ट उपचार संयत्र	673	237	35

क्रं.सं.	वर्ग	एन.ओ.सी. में वर्णित परियोजनाओं की संख्या जिनमें शर्तों का वर्णन था	उन मामलों की संख्या जिनमें एन.ओ.सी. की शर्तों का उल्लंघन हुआ	उन मामलों का प्रतिशत जिनमें एन.ओ.सी. की शर्तों का उल्लंघन हुआ
	प्लांट का काम प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के दायरे में था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन.ओ.सी. में एक शर्त होने के कारण इसके अनुपालन की निगरानी सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा भी की जानी थी।			

(ii) अधिसूचित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट शर्तें।

परियोजना समर्थकों को दी गई एन.ओ.सी. में कुछ शर्तें हैं जो अधिसूचित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट हैं। अधिकृत अधिकारी सलाहकार समिति के परामर्श से अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र के मानकों पर निर्णय लेंगे। समर्थकों द्वारा उल्लंघन की गई ऐसी विशिष्ट शर्तों की नीचे तालिका 3.8 में चर्चा की गई है। राज्यवार निष्कर्ष ***अनुलग्नक 3.4*** में दिए गए है।

तालिका 3.8: अधिसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट शर्तों का उल्लंघन किया गया

शर्त	नमूना परियोजनाओं की संख्या	नमूना परियोजनाओं की संख्या जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी।	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी, परियोजनाओं की संख्या जिनमें			उन परियोजनाओं का प्रतिशत जहां शर्तों का उल्लंघन हुआ।
			शर्त का पालन किया गया था	लेखापरीक्षा में अनुपालन निर्धारित नही किया जा सका	शर्त का उल्लंघन था	
ट्यूबवेल/बोरवेल का व्यास भूजल निष्कर्षण संरचनाओं का अधिकतम व्यास सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा 150 मि.मी.	281	152	102	10	40	26

शर्त	नमूना परियोजनाओं की संख्या	नमूना परियोजनाओं की संख्या जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी।	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी, परियोजनाओं की संख्या जिनमें			उन परियोजनाओं का प्रतिशत जहां शर्तों का उल्लंघन हुआ।
			शर्त का पालन किया गया था	लेखापरीक्षा में अनुपालन निर्धारित नही किया जा सका	शर्त का उल्लंघन था	
तक सीमित है। सरकारी जल आपूर्ति एजेंसियों, हाउसिंग सोसायटी के मामलों में भूजल उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर ट्यूबवेल के विनिर्देश (आकार, व्यास) बड़े हो सकते हैं।						
पंप की क्षमता भूजल निष्कर्षण के लिए पंप की अधिकतम क्षमता सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा पांच एच.पी. तक सीमित है। सरकारी जलापूर्ति एजेंसियों, हाउसिंग सोसायटी, नलकूपों के मामले में यह भूजल उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर अधिक हो सकती है।	221	130	57	16	57	44

शर्त	नमूना परियोजनाओं की संख्या	नमूना परियोजनाओं की संख्या जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी।	उन परियोजनाओं में से जहां ऐसी शर्त निर्दिष्ट की गई थी, परियोजनाओं की संख्या जिनमें			उन परियोजनाओं का प्रतिशत जहां शर्तों का उल्लंघन हुआ।
			शर्त का पालन किया गया था	लेखापरीक्षा में अनुपालन निर्धारित नही किया जा सका	शर्त का उल्लंघन था	
सी.जी.डब्ल्यू.बी. को भेजी जाने वाली संरचना सी.जी.डब्ल्यू.ए. के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रस्तावक द्वारा की गई ड्रिलिंग का विवरण निर्माण पूरा होने के 15 दिन के अंदर अधिकृत नोडल एजेंसी और सी.जी.डब्ल्यू.बी. क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना था।	279	85	3	7	75	88

ऐसे मामलों का महत्वपूर्ण प्रतिशत जिनमें एन.ओ.सी. में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया था, भूजल की गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी और जल संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करने के इस तरह के विनियमन को लागू करने के उद्देश्य को विफल कर दिया। हालांकि, अत्यधिक उल्लंघन के बावजूद सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने केवल 99 परियोजना प्रस्तावकों को कारण बताओं नोटिस जारी (2013-18) किया। यह बताता है कि सी.जी.डब्ल्यू.ए. उन शर्तों को कड़ाई एवं प्रभावी रूप से लागू करने में असमर्थ था, जिसके अधीन एन.ओ.सी. प्रदान किए गए थे।

डी.ओ.डब्ल्यू.आर. आर.डी. एवं जी.आर. ने कहा (सितंबर 2020) कि सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने एन.ओ.सी. में निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने में विफल रहने वाले प्रस्तावकों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई नवंबर 2019 से शुरू कर दी थी।

3.10.2 लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए विशिष्ट मामले

कुछ विशिष्ट मामलों पर नीचे चर्चा की गई है।

3.10.2.1 आंध्र प्रदेश

भूजल एवं जल लेखापरीक्षा विभाग ने (फरवरी 2016) साई गंगा वाटर केयर आर.ओ. प्लांट, गुंटूर को भूजल निष्कर्षण की अनुमति को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि प्रस्तावित संयंत्र एक आवासीय क्षेत्र में स्थित था। और बिक्री के लिए भूजल निष्कर्षण की अनुमति नहीं थी। तथापि, क्षेत्रीय दौरे के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि इकाई अप्वाल्टा नियमों के उल्लंघन में अवैध रूप से भूजल का निष्कर्षण कर रही थी। यह ऐसी गतिविधियों का पता लगाने के लिए एक प्रभावी तंत्र की कमी के कारण है।

आंध्र प्रदेश भूजल एवं जल निभाग ने कहा कि इस उल्लंघन को संबंधित मंडल के तहसीलदार द्वारा नियंत्रित किया जाना था।

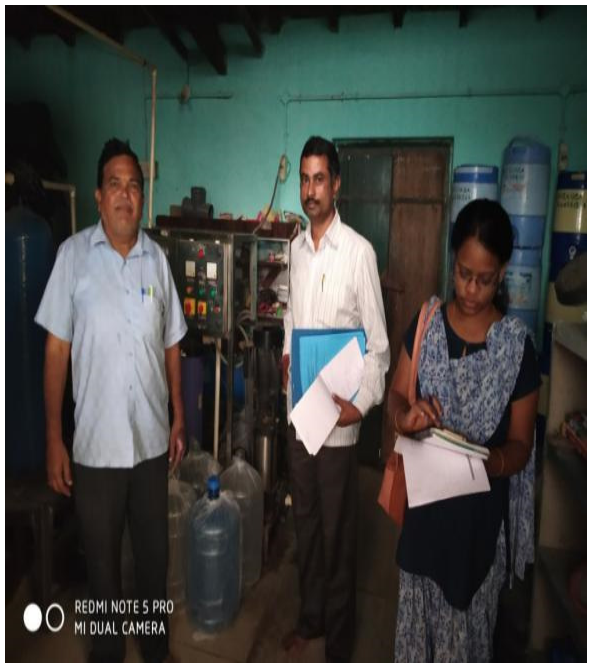

साई गंगा वाटर केयर आर.ओ. प्लांट, गुंटूर द्वारा भूजल का अवैध निष्कर्षण

3.10.2.2 गुजरात

(i) गहन जल इकाईयों द्वारा एन.ओ.सी. की कई शर्तों का उल्लंघन

वडोदरा में स्थित डाइस (गहन जल इकाई) के निर्माता मेसर्स हन्टसमैन इंटरनेशनल प्रा.लि. को (अक्टूबर 2016) सात उथले कुंओं के माध्यम से (40-70 मी. गहराई सीमा) भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) प्रदान किया गया था, जिसकी सीमा 2,000 क्यूबिक मी./दिन (और 7,30,000 क्यू.मी./वर्ष से ज्यादा नहीं) थी। गहरे भूजल के एक्विफर मोनीटरिंग के लिए दो ट्यूबवेल को पीजोमीटर्स में बदला जाना था। भूजल स्तर को मासिक रूप से मापने के लिए फर्म को कुल 4-5 पीजोमीटर स्थापित करने थे।

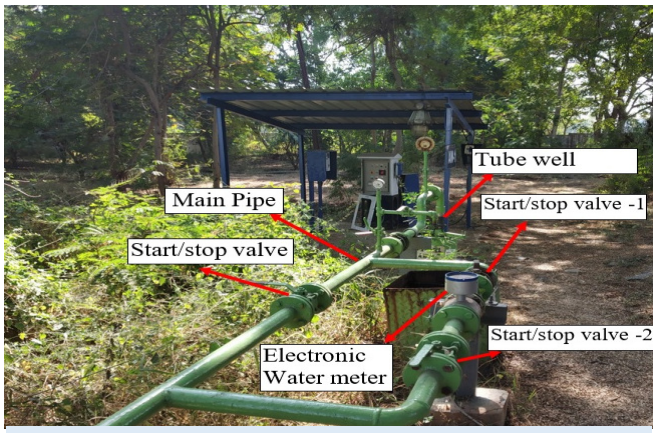

ट्यूबवेल का जल प्रवाह मीटर को अनदेखा करते हुए संचालन

इकाई परिसर के संयुक्त दौरे (दिसंबर 2018) के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि इकाई ने फैक्ट्री परिसर के अंतर्गत इस तरह सात ट्यूबवेल बनाए थे जिससे बिना मिटरिंग के भूजल निकाला जा रहा था। आगे भी फर्म ने दो ट्यूबवेल को पीजोमीटर में परिवर्तित नहीं किया जैसा कि गहरे भूजल की एक्विफर मोनीटरिंग के लिए एन.ओ.सी. की शर्तों में वर्णित था बल्कि बिना मीटर के पंपों से भूजल का निष्कर्षण किया जा रहा था। साथ ही फर्म ने आवश्यक 4-5 पीजोमीटर के स्थान पर केवल 3 पीजोमीटर फैक्ट्री परिसर में लगा रखे थे तथा मासिक आधार पर भूजल स्तर की जांच भी नहीं की गई थी।

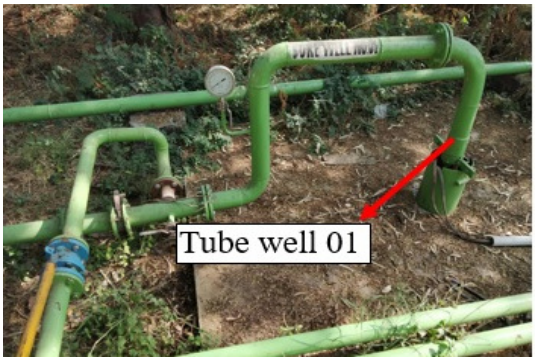

जल प्रवाह मीटर के बिना ट्यूबवेलों का संचालन

एन.ओ.सी. के अनुसार फर्म को वडोदरा जिले के अंतर्गत 2-3 गांवों को जल सुरक्षा योजना के तहत गोद लेना था तथा जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना था। फर्म ने न तो जल सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए पहल की और न ही जल पुनर्भरण संरचना का निर्माण किया। फर्म द्वारा जुलाई 2018 में बस एक प्राथमिक विद्यालय परिसर में जल संचयन संरचना की स्थापना की गई थी। इस तरह फर्म द्वारा एन.ओ.सी. में वर्णित लगभग सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया।

(ii) जल पुनर्भरण संरचनाओं का रखरखाव न होना

सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा मेसर्स रोहन डाइस एवं इंटरमीडियेटस लि. जोकि जिला आंनद, गुजरात में स्थित एक रसायन उत्पादों की उत्पादक थी, को 666 क्यूबिक मी./दिन (2,29,770 क्यूबिक मी./वर्ष से ज्यादा नहीं) की दर पर भूजल निष्कर्षण के लिए (नवंबर 2014) में एन.ओ.सी. प्रदान की थी। इस इकाई को 1,18,057 क्यूबिक मी./वर्ष वर्षा जल संचयन एवं पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करना था।

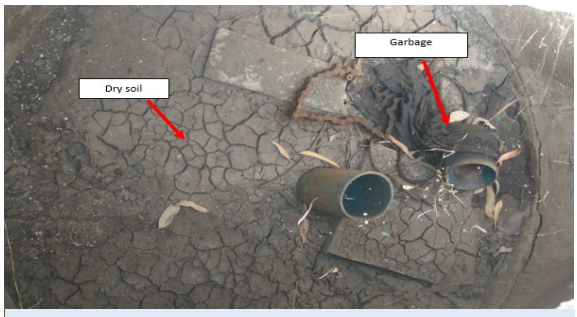

जल पुनर्भरण पिट

इकाई ने अपने परिसर में वर्षा जल से भरे जाने वाले 100 मी. गहराई के 4 ट्यूबवेल की स्थापना का प्रस्ताव रखा। पुनर्भरण संरचना की बनावट के मुताबिक, पुनर्भरण पिट की ऊपरी सतह बजरी रेत से ढकी होंगी तथा दूसरी सतह पर बजरी पैक फिल्टर होगा।

इकाई परिसर के संयुक्त दौरे (जनवरी 2019) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि फर्म ने केवल 2 पुनर्भरण ट्यूबवेल का निर्माण किया है। पुनर्भरण पिटों का संरक्षण भी ठीक से नहीं किया जा रहा था क्योंकि ऊपरी सतह पर बजरी रेत की जगह पेड़ पौधे, सूखी मिट्टी तथा कीचड की परत मौजूद थी।

व्यवस्थित पुनर्भरण संरचनाओं के देख-रेख के अभाव में ताजा जल पुनर्भरण की सीमा, यदि कोई हो, तथा एन.ओ.सी. के मुताबिक शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

3.10.2.3 हरियाणा

एन.ओ.सी. की शर्तों के अनुसार, एन.ओ.सी. के जारी होने के 45 दिनों के अंदर इकाई को अपने क्षेत्र में छत जल संचयन प्रणाली (आर.डब्ल्यू.एच.एस.) के द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को विकसित किया जाना था और प्राधिकृत अधिकारी को आर.डब्ल्यू.एच.एस. के निर्माण के सत्यापन हेतु अवगत कराया जाना था। 10 इकाईयों के क्षेत्रों के भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि इन इकाईयों ने आर.डब्ल्यू.एच.एस. का निर्माण नहीं कराया था जोकि जरूरी था। फरवरी से मई 2018 के दौरान छानबीन की गई छः अन्य इकाईयों में, आर.डब्ल्यू.एच.एस. का ठीक ढ़ंग से रख-रखाव नहीं पाया गया।

आर.सी. सूद और को.प्राईवेट लिमिटेड फरीदाबाद में गंदा ढ़ांचा

आर.पी.एस. इंफ्रास्ट्रैक्चर, फरीदाबाद में जल भराव संरचना

मेसर्स कन्टीनेन्टल डिवाईसेस, फरीदाबाद में झाड़ियां/घास

भरतीय खाद्य निगम, फरीदाबाद के आर.डब्ल्यू.एच. प्रणाली में पतें और गंदगी

अपारेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फरीदाबाद, के आर.डब्ल्यू.एच. प्रणाली में गंदगी एवं जल भराव

बी.के.एन. राजकीय बहुतकनीक संस्थान, महेंद्रगढ़ में झाडियां

3.10.2.4 कर्नाटक

जिला भूजल प्राधिकरण ने मेसर्स एंबेसी वन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, बैंगलौर को 10 बोरवेल बोरिंग के लिए अनुमति (अक्टूबर 2017) दी थी। फर्म ने बैंगलौर में 6.5 एकड़ के प्लॉट पर दो 30 मंजिला टावरों का निर्माण किया था। दोनों ब्लॉकों के निम्नतल

का हिस्सा भूजल स्तर से नीचे था जिसके कारण निम्नतल के फर्श पर पानी का दबाव और बाद में सिसाव हुआ।

सलाहकार की रिपोर्ट[58] के अनुसार, प्रतिदिन पंप किए जाने वाले भूजल की मात्रा 1,213 घन मी./दिन बताई गई थी। भवन संरचना के चारों ओर जमा हुआ पानी संग्रह होदियों पर एकत्रित हुआ और प्रतिदिन 500 क्यूबिक मी. व्यापक उप मृदा नाली प्रणाली के माध्यम से निजर्लिव किया जा रहा था।

एन.ओ.सी. में यह निर्दिष्ट किया गया था कि निजर्लिव के माध्यम से निकलने वाले पानी को उत्पादक/ प्रभावी रूप से उपयोग में लिया जाना था। हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त निरीक्षण से पता चला कि एकत्रित पानी को पंप किया गया था और पानी के भंडारण टैंकों में उठाया गया था और टैंक भरने के बाद संग्रहित पानी नाली में बह गया था। यह एन.ओ.सी. में विनिर्दिष्ट शर्तों के विपरीत था जिसके परिणामस्वरूप अधिसूचित/अतिशोषित क्षेत्र में पानी का अनुचित उपयोग और अपव्यय हुआ।

भंडारण टैंक से बहता हुआ पानी

3.10.2.5 मध्य प्रदेश

10 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के नमूनों में लेखापरीक्षा ने देखा कि इनमें से 4 परियोजनाओं में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एम.पी.पी.सी.बी.) से सी.टी.ओ. प्राप्त नही किया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, एम.पी.पी.सी.बी. ने कहा (दिसंबर 2018) कि तीन परियोजना प्रस्तावकों के विरूद्ध अदालती मामले दर्ज किए गए थे और मेसर्स सुखसागर चिकित्सा कॉलेज व अस्पताल, जबलपुर से संबंधित एक मामले में, क्षेत्रीय

[58] निम्नतल का तल भूजल स्तर से कम था। इसलिए यह जल दबाव के अधीन था तथा इसलिए रिसता था। इसलिए, कंपनी ने अध्ययन करने के लिए और व्यापक निजर्लिव संरचना हेतु एक सलाहकार नियुक्त किया था। ताकि भूजल स्तर को निम्नतल संरचना से नीचे रखा जा सके।

अधिकारी, जबलपुर को सी.टी.ओ. प्राप्त किए बिना परियोजना के संचालन करने हेतु अदालती कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

3.10.2.6 ओडिशा

सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने भूजल के निष्कर्षण हेतु मेसर्स जय लक्ष्मी एग्रो फूड्स प्रा.लि., कटक, जो कि एक प्रस्तावित कृषि आधारित खाद्य उत्पाद निर्माण इकाई है को एन.ओ.सी. प्रदान (जुलाई 2017) किया था। एन.ओ.सी. की शर्तानुसार फर्म को दो बोरवेल के माध्यम से 90 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन और 28,300 क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष भूजल निकालने की अनुमति दी गई थी। सी.जी.डब्ल्यू.ए. के पूर्वानुमोदन के बिना इस उद्देश्य के लिए कोई अतिरिक्त भूजल निकासी संरचना का निर्माण नहीं किया जाना था।

सी.जी.डब्ल्यू.ए. की अनुमति के बिना बनाया गया कुंआ

लेखापरीक्षा दल द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान (फरवरी 2019) यह पाया गया कि फर्म ने एक कुंआ भी बनाया था जिसके लिए सी.जी.डब्ल्यू.ए. की स्वीकृति नहीं ली गई थी। बोरवेल और खोदे गए कुओं में पानी के मीटर नहीं लगे थे और कार्य-पुस्तिका भी नहीं रखी गई थी। इस प्रकार इकाई द्वारा निकाले गए भूजल की मात्रा का पता नहीं लगाया जा सका। फर्म ने कोई पीजोमीटर भी स्थापित नहीं किया था और एन.ओ.सी. की शर्त के अनुसार प्री मानसून और पोस्ट मानसून दोनों अवधियों के लिए गुणवत्ता डेटा की निगरानी भी नहीं की गई थी। एन.ओ.सी. की शर्तों के कार्यान्वयन के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर सी.जी.डब्ल्यू.ए. को प्रस्तुत की जानी थी लेकिन फर्म ने सी.जी.डब्ल्यू.ए. को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। एन.ओ.सी. के लिए अपने प्रस्ताव में फर्म ने वर्षा जल संचयन के लिए एक इनफिल्ट्रेशन बेसिन (तालाब) के निर्माण का प्रस्ताव दिया था ताकि इसे संयंत्र के काम में प्रयोग किया जा सके। हालांकि, वर्षा जल संचयन के लिए फर्म ने इस तरह के इनफिल्ट्रेशन बेसिन का निर्माण नहीं किया था। इसके अलावा, परियोजना में जल संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन हेतु आस-पास के किसी भी गांव को गोद नहीं लिया था।

ओडिशा में पीजोमीटर एवं जल मीटर के बिना बोरवेल

क्षेत्रीय निदेशक, भुवनेश्वर ने कहा कि जल्द से जल्द, मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी।

3.10.2.7 पश्चिम बंगाल

राज्य भूजल प्राधिकरण (एस.डब्ल्यू.आई.डी.) ने पूर्बा मिदनापुर जिले के एक अधिसूचित क्षेत्र में स्थित मेसर्स हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स को 100 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन प्रति ट्यूबवेल की दर से भूजल निष्कर्षण के लिए चार ट्यूबवेल स्थापित करने के लिए चार अनुमति पत्र (अप्रैल 2017) जारी किए। भूजल निकासी की अनुमति हर साल 15 मार्च से 15 जुलाई की अवधि के लिए ही दी गई थी। इसमें जल मीटर, छत पर वर्षा जल संचयन संरचना स्थापित करने, एस.डब्ल्यू.आई.डी. को सालाना जल गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करने की शर्तें थी। हालांकि, पीजोमीटर, ए.डब्ल्यू.एल.आर., प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून में जल गुणवत्ता निगरानी, अनुमति पत्रों का नवीनीकरण, सीवेज/प्रभावी उपचार संयत्र की स्थापना, एस.डब्ल्यू.आई.डी. को ड्रिलिंग विवरण प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं था।

हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स मे ट्यूबवेल

संयुक्त स्थल भ्रमण (जून 2018) के दौरान, यह देखा गया कि फर्म ने चार नलकूपों का निर्माण किया था, लेकिन पानी के मीटर नहीं लगाए थे और कार्य-पुस्तिका भी नहीं बनाई गई थी। इस प्रकार फर्म द्वारा प्रतिदिन निकाले जाने वाले भूजल की मात्रा और निष्कर्षण अवधि का पता नहीं लगाया जा सका। फर्म ने एस.डब्ल्यू.आई.डी. को कोई जल गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। कोई वर्षा जल संचयन संरचना स्थापित नहीं की गई थी; छत का बारिश का पानी मौजूदा जलाश्य में जमा किया जा रहा था। पीजोमीटर के अभाव में, मौसम के अनुसार भूजल स्तर में उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया जा सका।

डी.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर. ने कहा (अक्टूबर 2019) कि जहां स्थल निरीक्षण किए जा रहे थे वहां नवीनीकरण के मामलों के अलावा, मानव संसाधन बाधाओं ने सी.जी.डब्ल्यू.ए. को सामान्य रूप से समर्थकों द्वारा एन.ओ.सी. की शर्तों की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करने में प्रभावित किया।

लेखापरीक्षा ने कुछ परियोजना समर्थकों द्वारा अपनाई जा रही अच्छी प्रथाओं को भी देखा जिन्हें बॉक्स 3.4 में दर्शाया गया है।

बॉक्स 3.4: परियोजना समर्थकों की अच्छी प्रथाएँ

आंध्र प्रदेश
खनन इकाई मेसर्स आर.बी.एस.एस.डी. और एफ.एन. दास के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि इकाई ने 40,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में वृक्षारोपण के रूप में एक हरित पट्टी बनाया था और लगभाग 4.50 लाख घास के बीज लगाए थे। इसके अलावा, इकाई ने अत्यधिक दबाव वाले ढ़ेर से मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, 1,250 मी. की नालियों की माला और 1,375 मी. पुश्ते की दीवार का रखरखाव किया था।
असम
मेसर्स अजंता फार्मा लिमिटेड जिसे नवंबर 2016 में सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा एन.ओ.सी. प्रदान की गई थी, के भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया था कि उद्योग ने एन.ओ.सी. में निर्दिष्ट सभी शर्तों का अनुपालन किया था, जैसे एन.ओ.सी. के अनुसार भूजल की निकासी, भूजल की निकासी हेतु कार्य पुस्तिका का रखरखाव, ट्यूबवेल के साथ पानी के मीटर की स्थापना, जल स्तर की निगरानी के लिए पीजोमीटर की स्थापना, वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण, अपशिष्ट जल के पुर्नउपयोग के लिए एस.टी.पी./ई.टी.पी. प्लांट। इसके अलावा, उद्योग ने एन.ओ.सी. के अनुसार क्षेत्रीय निदेशक, सी.जी.डब्ल्यू.बी., एन.ई.आर. को अनुपालना रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

मेसर्स अजंता फार्मा लिमिटेड में ई.टी.पी.

वर्षा जल संचयन संरचना

मध्य प्रदेश

एक जल-गहन उद्योग मेसर्स उदयपुर बेवरेज लि. जबलपुर के संयुक्त स्थल निरीक्षण के दौरान इकाई को एन.ओ.सी. में वर्णित सभी शर्तों का अनुपालन करते पाया गया। संयंत्र में एस.टी.पी. एवं ई.टी.पी. सुविधाएं थी और आंतरिक बागवानी, सिंचाई, सफाई और बॉयलर, कूलिंग टॉवर और वॉशर जैसी उपयोगिताओं में उपयोग के लिए उपचिरित जल का पुनः उपयोग और पुर्नचक्रण किया जा रहा है। भूजल की निकासी की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी कुंओं में पानी के मीटर और ए.एल.डब्ल्यू.आर. के साथ पीजोमीटर लगे पाए गए। इकाई ने भूजल के पुनर्भरण उपायों को भी लागू किया हुआ था। परिसर के बाहर पानी के शून्य निवर्हन के साथ सोलह वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और उचित रखरखाव पाया गया। परियोजना प्रस्तावक ने परियोजना के आस पास स्थित बिलपुरा तालाब की गाद निकालने और कायाकल्प करने का काम किया, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र के भूजल संसाधनों में वृद्धि हुई। परियोजना प्रस्तावक ने परियोजना के आस पास चार हजार पेड़-पौधे लगाकर पर्यावरण संबंधी पहल की थी और हरित पट्टी को बनाए रखा था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के पर्यावरण पुरस्कार और विभिन्न प्रशंसा पुरस्कारों के माध्यम से सतत विकास को बनाए रखने और जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के परिणाम उन्मुख प्रयासों को विधिवत मान्यता दी गई है।

मेसर्स उदयपुर बेवरेजेज, लिमिटेड पर संरचनाओं का उचित रख-रखाव

3.11 अन्य मुद्दे:- ड्रिलिंग रिंग और बोरवेल का पंजीकरण

10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों[59] ने भूजल के निष्कर्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रिलिंग रिग और बोरिंग कुंओं के पंजीकरण के लिए एक तंत्र स्थापित किया था। यह एक अच्छा अभ्यास है, क्योंकि यह राज्य में किए गए ड्रिलिंग रिग या बोरिंग कुंओं की संख्या और ड्रिलिंग गतिविधियों की सीमा का रिकार्ड रखने का कार्य करता है। हालांकि लेखापरीक्षा ने इस तंत्र के कार्यान्वयन में पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कमियाँ देखी जैसा कि तालिका 3.9 में वर्णित है।

तालिका 3.9: ड्रिलिंग रिग के पंजीकरण के लिए तंत्र में कमियाँ

क्र.सं.	राज्य	टिप्पणियाँ
1.	**चंडीगढ**	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2010 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी ड्रिलिंग एजेंसियों का जिला प्रशासन/ सांविधिक प्राधिकरण के साथ पंजीकरण अनिवार्य था। हालांकि, संघ राज्य प्रशासन ने किसी भी ड्रिलिंग एजेंसी को पंजीकृत नही किया था।
2.	**दिल्ली**	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.टी.) दिल्ली माननीय उप राज्यपाल के अनुमोदन से पर्यावरण विभाग द्वारा जारी जुलाई 2010 की अधिसूचना के माध्यम से भूजल को नियंत्रित करता है, जिसे जनवरी 2014 में संशोधित किया गया था। जनवरी 2014 की संशोधित अधिसूचना के नियम और शर्तों के अनुसार बोरिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सभी ड्रिलिंग रिग मशीनों को विभागीय आयुक्त/उपायुक्त (राजस्व) के कार्यालय के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है। संशोधित अधिसूचना में आगे प्रावधान किया गया है कि संबंधित उपायुक्त (राजस्व) कार्यालयों द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य/स्थान और अवधि के लिए ड्रिलिंग मशीनों/रिगों की आवाजाही की अनुमति दी जानी चीहिए। तथापि, उपायुक्त के कार्यालयों में कोई ड्रिलिंग एजेंसी पंजीकृत नहीं थी और जनवरी 2014 की अधिसूचना के तहत आवश्यक ड्रिलिंग मशीनों की आवाजाही की कोई जांच नहीं हुई थी।
3.	**कर्नाटक**	राज्य के भूजल नियम 2012 के नियम 10 (2) के अनुसार, ड्रिलिंग एजेंसियों को प्रत्येक बोरवेल की गहराई, आवरण और उपज के साथ ड्रिल किए गए बोरवेल के स्थान, तिथि और संख्या के बारे में मासिक जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि, 131 एजेंसियों में से केवल 55 ने ही यह जानकारी जमा की थी।

[59] चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान एवं तेलंगाना

क्रं.सं.	राज्य	टिप्पणियाँ
4.	**महाराष्ट्र**	महाराष्ट्र भूजल (विकास और प्रबंधन) अधिनियम, 2009, राज्य में ड्रिलिंग रिग मालिकों और संचालकों के पंजीकरण का निर्धारण करता है। हालांकि, नियमों के अभाव में, अधिनियम के इन प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था।
5.	**तेलंगाना**	रिग मालिकों/संचालकों को भूजल विभाग को किए गए ड्रिलिंग कार्यों के विवरण वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि नमूना जांच किए गए जिलों (रंगारेड्डी, वारंगल (शहरी), गडवाल और निजामाबाद) में सभी 153 पंजीकृत रिग संचालकों ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

उपरोक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, ड्रिलिंग एजेंसियों के पंजीकरण की कमी और ड्रिलिंग गतिविधियों पर आवधिक रिपोर्ट प्राप्त ना होने के कारण, भूजल के दोहन के लिए किए गए ड्रिलिंग कार्य की सीमा का पता नहीं लगाया जा सका, जिसने ड्रिलिंग गतिविधियों पर नियंत्रण के तंत्र की स्थापना के उद्देश्य को विफल कर दिया।

12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों[60] में, भूजल निकासी के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रिलिंग रिग[61] या बोरिंग कुंओं के पंजीकरण के लिए कोई तंत्र नहीं था। इस तरह के तंत्र के अभाव में, भूजल के अनियंत्रित निष्कर्षण की गुंजाइश थी। शेष 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

संशोधित दिशानिर्देशों (सितंबर 2020) में, सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने एक प्रावधान पेश किया है जिसके तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित ड्रिलिंग रिग को पंजीकृत करने और उनके द्वारा ड्रिल किए गए कुंओं के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगी।

3.12 निष्कर्ष

सी.जी.डब्ल्यू.ए. को देश में भूजल को विनियमित और नियंत्रित करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं लेकिन विभिन्न परियोजनाओं के संचालन के लिए कई एजेंसियों जैसे प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के आकलन आदि के द्वारा सहमति दी जाती है। इन एजेंसियों और सी.जी.डब्ल्यू.ए.

[60] असम, बिहार, छत्तीसगढ, गुजरात, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु एवं त्रिपुरा

[61] ड्रिलिंग रिग संरचनाएँ हाउसिंग उपकरण हैं जिनका प्रयोग पानी के कुंओं, तेल के कुंओं या प्राकृतिक गैस निष्कर्षण कुंओं की ड्रिल करने के लिए किया जाता है।

द्वारा उन परियोजनाओं के लिए दी गई सहमति, जिनके लिए भूजल निकासी की आवश्यकता थी, में संपर्क की कमी थी। जिसके कारण इन अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई कई इकाईयां सी.जी.डब्ल्यू.ए. से एन.ओ.सी. प्राप्त किए बिना ही काम कर रहीं थी।

सी.जी.डब्ल्यू.ए. द्वारा नई एन.ओ.सी. जारी करने और मौजूदा एन.ओ.सी. के नवीनीकरण में देरी हुई थी। एन.ओ.सी. देने के लिए कुल 10,758 आवेदन 90 दिनों से तीन साल तक की अवधि के लिए लंबित थे। इसी तरह, एन.ओ.सी. के नवीनीकरण के लिए 144 आवेदन तीन साल से अधिक की अवधि से लंबित थे।

यद्यपि सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) प्रदान करने के प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, एन.ओ.सी. प्राप्त होने के बाद परियोजना समर्थकों द्वारा पालन की जाने वाली निर्धारित शर्तें, भूजल का सतत उपयोग, पुनर्भरण उपायों आदि दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया।

सी.जी.डब्ल्यू.ए. को उन लोगों के विरूद्ध दंडात्मक प्रावधानों का सहारा लेने की शक्ति प्रदान की गई है जो इसके निर्देशों का पालन करने में असफल रहे हैं। हालांकि, इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया था, जबकि परियोजना प्रस्तावकों के स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एन.ओ.सी. में वर्णित शर्तों जैसे कि भूजल का अवैध निष्कर्षण जल प्रवाह मीटर की गैर स्थापना, वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं का अनुचित रखरखाव, जल गुणवत्ता आंकड़ों की निगरानी के अभाव का उल्लंघन किया गया था। 2013-18 के दौरान, सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने केवल 99 परियोजना समर्थकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

3.13 सिफारिशें

1. केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण और राज्य एजेंसियों को परियोजनाओं को सहमति देने वाली विभिन्न अन्य एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय विकसित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूजल निष्कर्षण के लिए आवश्यक अनुमतियां भी प्राप्त की जा रहीं हैं।
2. केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण और राज्य एजेंसियां भूजल निष्कर्षण के अनुरोधों का समय पर प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकती है।

3. केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण और राज्य एजेंसियों को समय-समय पर निरीक्षण और परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि अनापत्ति प्रमाण पत्रों में वर्णित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

4. केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण और राज्य एजेंसियों को प्रभावी भूजल विनियमन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्रों में वर्णित शर्तों के उल्लंघन के मामलों के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम/राज्य अधिनियमों/नियमों के अनुसार दंडात्मक प्रावधानों को सख्ती से लागू करना होगा।